कामकाजी महिला

वर्ष 5 अंक 6 अगस्त, 1993 मूल्य : 2 रु०

आंगनवाड़ी सेविकाओं-सहायिकाओं द्वारा पटना में दिए गए धरने का एक दृश्य

सरकार की आर्थिक नीतियों एवं साम्प्रदायिकता के विरुद्ध

कामकाजी महिलाएं 'भारत बंद' में भाग लेंगी

15 तालकटोरा रोड नई दिल्ली पर 5 जुलाई को जन-संगठनों के मंच की एक बैठक हुई जिसमें 15 अप्रैल को ताल कटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में हुई सभा के 9 सितम्बर के भारत बन्द तथा औद्योगिक हड़ताल के आह्वान की तैयारियों पर पुनर्विलोकन किया गया।

बैठक का संचालन निम्न अध्यक्षीय मंडल द्वारा किया गया : एम.एस. कृष्णन (एटक), पी.के. कोड़यान (खेत मजदूर), एम.के. पंधे (सीटू), श्रीमती वृंदा करात (ए.आई. डी.डब्ल्यू.ए.), वी त्यागी (एच.एम.एस.), मो० सलीम (डी.वाई.एफ.आई.) और के.के. नियोगी (ए.आई.सी.सी. टी.यू.)।

बैठक में केंद्रीय मजदूर संघों, किसान सभाओं, कृषि मजदूर संघों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और राष्ट्रीय फैडरेशनों के 60 नेताओं सहित केन्द्र सरकार के, रेलवे, बैंकों, जीवन बीमा निगम और राज्य सरकार के कर्मचारियों आदि ने हिस्सा लिया।

भारत बन्द की तैयारियां

बैठक में नोट किया गया कि बिहार, म.प्र., उ.प्र., राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, असम तथा आ.प्र. में मंच घटकों तथा अन्य संगठनों के आयोजन पर विशाल राज्यस्तरीय सभाएं हो चुकी हैं और इसी प्रकार बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि में भी कार्यक्रम किए जाएंगे। कई राज्यों में जिला स्तरीय सभाएं भी हो रही हैं। सभाओं में सभी जन-संगठनों के राज्य तथा केन्द्रीय नेता हिस्सा ले रहे हैं। 9 सितम्बर के भारत बन्द तथा औद्योगिक हड़ताल के लिए हजारों मजदूरों को तैयार किया जा रहा है।

भारत बन्द के समर्थन तथा आई.एम.एफ. के दबाव

[शेष पृष्ठ 4 पर]

इस अंक में

कामकाजी महिलाएं 'भारत बंद' में भाग लेंगी	2
कुलटीकारी पंचायत समिति की सभी 13 सीटों पर महिलाएं चुनी गईं	3
जयपुर में आंगनवाड़ी महिलाओं का राज्यपाल आवास के सामने जबर्दस्त प्रदर्शन	4
आंगनवाड़ी महिलाओं का संघर्ष: एक विश्लेषण	5
हैदराबाद में कामकाजी महिलाओं की कक्षा	7
पांडिचेरी में धरना	8
चंडीगढ़ में भारी रैली	8
त्रिवेणीगंज में बलात्कारी थाना प्रभारी के विरुद्ध महिलाओं का प्रदर्शन	9
जनवादी महिला समिति वैशाली का तृतीय सम्मेलन सम्पन्न	9
कुरला में कामकाजी महिलाओं पर कर्मशाला का आयोजन	9
महिला एवं बाल श्रमिकों की समस्याएं	10
गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली—नर्सों की शानदार जीत	14
बिहार की आंगनवाड़ी सेविकाओं का आंदोलन जारी : पटना में धरना	15
अगला संयुक्त महिला सम्मेलन बीजिंग में होगा	16
बनारहाट चाय बागान के शहीद कर्मचारी	17
कामरेड सूर्यवती नहीं रहीं	19
बंगलौर में कामकाजी महिलाओं की सफल प्रसभा	20
महिला कल्याण योजनाओं पर सरकारी कहर	21
तमिलनाडु में अन्तर्राष्ट्रीय बाल-दिवस मनाया गया	22
अकेले फिरोजाबाद में 50 हजार से अधिक बाल श्रमिक काम करते हैं	23
बाल श्रमिकों के प्रति सरकार की लज्जाजनक उदासीनता	24

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमल रणदिवे की ओर से 15, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 3714071) सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-110095 से मुद्रित।

रेवती दास कहती हैं, "हमारी एक आदर्श पंचायत होगी"

कुलटीकारी पंचायत समिति की सभी 13 सीटों पर महिलाएं चुनी गई

पश्चिम बंगाल का एक छोटा जन जातीय बहुल वाला गांव कुलटीकारी पिछले दिनों प्रचार माध्यमों की चर्चा का प्रमुख विषय बन गया। मिदनापुर के संकराली मंडल में स्थित इस गांव ने ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति के चुनाव में केवल महिला प्रत्याशियों को चुन कर सचमुच ही एक नये इतिहास का सृजन किया है।

ऐसा शायद पहली बार ही हुआ है कि महिलाओं के एक समूह ने पुरुषों के परम्परागत आधिपत्य को समाप्त करके ग्राम पंचायत को अपने नियंत्रण में ले लिया हो। चुनी गई महिला प्रत्याशियों में से अधिकांश दैनिक मजदूरी पर काम करने वाली श्रमिक हैं। इन सभी महिला प्रत्याशियों ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की टिकट पर चुनाव लड़ा और अपने पुरुष प्रतिद्वन्द्वियों को बुरी तरह पराजित किया। उनमें से 11 महिलाएं पंचायत तथा 2 पंचायत समिति के लिये चुनी गई हैं।

पंचायत समिति के लिये निर्विरोध चुनी गई शक्ति राना कहती हैं, "हम अपनी विजय से बहुत प्रसन्न हैं, किन्तु इसके साथ ही हमें अपने कर्त्तव्यों तथा जिम्मेदारियों का आभास भी है जो लोगों ने हम पर डाली हैं।"

पति द्वारा छोड़ी जा चुकी शक्ति में आज चुनौतियों से परिपूर्ण जीवन के प्रति विश्वास पहले की अपेक्षा बढ़ा है। तभी तो वह कहती हैं, "मैं ऐसे पतियों को दण्डित करने के लिए कृत संकल्पित हूं जो अपनी पत्नियों को सताते हैं और उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। दुखी परेशान महिलाओं की सहायता करना ही नयी पंचायत की पहली प्राथमिकता होगी।"

उसे अपने 11 वर्षीय बच्चे के साथ पति का घर छोड़ने पर विवश होना पड़ा। यह पूछे जाने पर कि समिति के सभाधिपति का कार्यभार सम्भालने के उपरान्त क्या वह अपने पथभ्रष्ट पति के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगी? उसने पलट कर उत्तर दिया, "मुझसे ऐसे प्रश्न मत पूछिये। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है। अपितु उन सभी लोगों के विरुद्ध है, जो अपनी पत्नियों को प्रताड़ित करते हैं।"

एक अन्य महिला हैं—रेपे मुरमु। 80 प्रतिशत से अधिक मत लेकर चुनाव जीतने वाली रेपे मुरमु भी परित्यक्ता है। वह पति के विरुद्ध गुजारा भत्ते के लिए केस लड़ रही है। यद्यपि वह मार्क्सवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीधे रूप से जुड़ी हुई नहीं हैं, तो भी उसे अपनी समस्याओं ने ही माकपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिये प्रेरित किया। "मेरा मारो उन गरीब और किस्मत की मारी सैंकड़ों महिलाओं का जीवन सुधारना है जिन्हें पतियों द्वारा छोड़े जाने के बाद न्याय नहीं मिलता।" वह फिर कहती हैं, "पीड़ित महिलाओं को जल्दी न्याय मिले, इसके लिये हम प्रत्यक्ष रूप से दखल देंगी।"

रेवती दास जिसके 11 सदस्यीय पंचायत की अध्यक्ष बनने की सम्भावना है, अधिक सुलझी महिला हैं। "यदि हम केवल उन्हीं समस्याओं को देखेंगी जिनसे महिलाएं प्रभावित होती हैं, तो यह बुद्धिमत्ता नहीं होगी। बिगड़े पतियों तथा ससुराल वालों को सुधारना ताकि वे घरेलू महिलाओं को तंग करना बंद कर दें, हमारी प्राथमिकताओं में से एक काम होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत के रोजमर्रा के कामों जिनमें तालाब तथा कुंए खोदना और फालतू जमीन भूमिहीन किसानों में वितरित करना इत्यादि शामिल हैं, की ओर भी उचित ध्यान दिया जाएगा। "हमारी एक आदर्श पंचायत होगी। उसमें सभी के लिये न्याय होगा, पर किसी को अनुचित ढंग से प्रसन्न नहीं किया जाएगा," उसने कहा।

कल्पना सिंह, ताप्ती सिंह तथा अल्पना दास भी चुनाव जीतने वाली महिलाओं में शामिल हैं। वे बहुत युवा हैं तथा पंचायत की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकती हैं। कल्पना और ताप्ती इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा में बैठी थी जबकि अल्पना एक निकटवर्ती बेल्दा कालेज में बी ए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही है। उन्होंने एक स्वर में कहा, "लोगों ने हम में विश्वास व्यक्त किया है। हम जी-जान से काम करके उनके विश्वास पर पूरा उतरेंगी।"

अल्पना यद्यपि माकपा की सक्रिय सदस्य नहीं है तथापि उसने स्वयं को पार्टी द्वारा गांव में चलाए जा रहे

साक्षरता अभियान के साथ जोड़ रखा है। वह महसूस करती है कि दूसरी समस्याओं के साथ-साथ जन-जातीय छात्रों के दुखों-तकलीफों को भी दूर किया जाना चाहिये। "कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बहुत से लड़के तथा लड़कियां कठिनाईयों के कारण अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते," वह प्रायः यह बात कहती रहती हैं।

13 निर्वाचित महिलाओं में से न्यूनतम तीन कुमारी कौशल्या मांदी, संध्या पापरा तथा गौरी तुडू गांव के अस्थाई साक्षरता केन्द्र में पढ़ने के लिये जाती हैं।

कई नयी महिला सदस्याएं बड़े किसानों के फार्मों में दैनिक मजदूरी पर काम करती हैं। संध्या कहती है, "भले ही हम पंचायत की सदस्य चुन ली गई हों, पर हमें जीवन यापन के लिये पहले की तरह दैनिक मजदूरी पर काम करना होगा।"

पार्टी टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतरने वाली सभी महिलाएं चुन ली जाएंगी, इस बात की कल्पना शायद माकपा के स्थानीय नेताओं ने भी नहीं की होगी। पार्टी की स्थानीय कुलटीकारी समिति के सदस्य कामरेड बादल राना का कहना है, "हम सशंकित थे। हम समझते थे कि राजनीति में नई होने के कारण कुछ महिलाएं चुनाव हार भी सकती हैं।" आज कामरेड राना बेहद खुश हैं क्योंकि उनके अनुसार "सभी 13 सीटों पर महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारने का विचार मेरा ही था।"

[प्रथम पृष्ठ का शेष]

वाली आर्थिक नीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए कई राज्यों में राज्यस्तरीय समितियों की बैठकें तथा जत्था मार्च आयोजित किए जा रहे हैं।

यह भी खबर है कि भारत बन्द की तैयारियों के हिस्से के रूप में 19 अगस्त को पूरे देश में विशाल जेल भरो आन्दोलन के लिए संगठनों द्वारा प्रचार किया जा रहा है। इस दिन लाखों लोग गिरफ्तारियाँ देंगे।

प्रचार अभियान को तेज करने के लिए बैठक ने भारत बन्द पर विभिन्न भाषाओं में पोस्टर छापने का निर्णय लिया है और आर्थिक तथा औद्योगिक नीतियों से जनता के हर वर्गों, जैसे—मजदूरों, किसानों, कृषि मजदूरों, विद्यार्थियों, युवाओं और महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालने के लिए भी पुस्तिकाएं छापी जा रही हैं।

जयपुर में आंगनवाड़ी महिलाओं का राज्यपाल आवास के सामने जबर्दस्त प्रदर्शन

जयपुर : आँगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं की ओर से गत दिवस यहां अखिल भारतीय मांग-दिवस के अवसर पर राज्यपाल आवास के समक्ष भारी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने राज्यपाल को ज्ञापन भी भेंट किया।

इससे पूर्व भारी वर्षा में ही महिलाओं का जुलूस एम.एल.ए. क्वार्टर से रवाना होकर सिविल लाइन फाटक पर पहुंचा जहां पुलिस ने उसे आगे जाने से रोक दिया। इस पर महिलाएं सड़क के बीच में ही धरना देकर बैठ गईं। इस अवसर पर जनसभा आयोजित की गई जिसे राजस्थान सीटू के उपाध्यक्ष का. वकारुल अहद, जनवादी महिला समिति राजस्थान की महामंत्री सुमित्रा चौपड़ा, जनवादी लेखक संघ राजस्थान के कोषाध्यक्ष श्री हनुमान चरण, मजदूर नेता मुस्तफा तथा राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) की मंत्री पुष्पा शर्मा इत्यादि नेताओं ने संबोधित किया।

वक्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि आंगनवाड़ी महिलाओं की उचित मांगें न माने जाने की स्थिति में राज्य की औद्योगिक शांति को बनाए रखना कठिन हो जाएगा। सभी नेताओं ने निषेधाज्ञा तोड़ने की महिलाओं की कार्रवाई को उनके संघर्ष की सफलता करार देते हुए उनसे भविष्य में भी ऐसी जुझारू भूमिका निभाते रहने की अपील की। बाद में सुशीला शर्मा, मुन्नी सिसोदिया, संतोष शर्मा, मुन्ना जैन, माया लखेरा एवं सुमित्रा चौपड़ा इत्यादि पर आधारित एक नौ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भेंट किया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि आंगनवाड़ी महिलाओं की मांगें न माने जाने की स्थिति में राज्य भर में एक विशाल आंदोलन भी किया जा सकता है।

आंगनवाड़ी महिलाओं का संघर्ष : एक विश्लेषण

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी महिला संघ केंद्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक गत 19 जून को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। बैठक में श्रीमती राजविन्द्र कौर, निर्मल कान्ता, सुरेन्द्र कौर (पंजाब), आर. आनन्द राजन (पांडिचेरी) जी. गोपाल, भवतोष राय (बंगाल), मान्यता सरोज (मध्य प्रदेश), शांति मिश्रा (बिहार). पलनीनाथन, के. सुब्रामणी (तमिलनाडु), सरोज वासिष्ठ (हरियाणा) किरण मोगे (महाराष्ट्र), के. हेमलता (आंध्र प्रदेश), उमासैन, सुशीला (जयपुर), विमल रणदिवे और नीलिमा मोएत्रा (केंद्र) इत्यादि सदस्यों ने भाग लिया। पी.एस.एस.एफ. के उपाध्यक्ष का. निर्मल सिंह गिल को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था।

संघ की अध्यक्षा का. विमल रणदिवे ने सदस्यों को विभिन्न राज्यों में चलाए जा रहे संघर्षों और कार्यों की की जानकारी दी। उन्होंने संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा आंगनवाड़ी महिलाओं के मानदेय में वृद्धि कराने हेतु चलाए जा रहे संघर्षों से भी उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 10 राज्यों ने इन संघर्षों में भाग लिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर दुःख व्यक्त किया कि संगठन में ढिलाई आने के कारण हमारी सदस्य संख्या में उतरोत्तर कमी आती जा रही है। उदयपुर में पहला सम्मेलन होने पर भी राजस्थान में अब अधिक संगठन उभर नहीं पा रहे हैं। जबकि वहां पहले सीटू के कई संगठनों का अस्तित्व था।

महासचिव का. नीलिमा मोएत्रा ने बैठक में पिछली रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में 6 दिसम्बर '92 की बाबरी मस्जिद घटना से उत्पन्न देश की सांप्रदायिक स्थिति की जानकारी दी गई। उन्होंने जोर देकर कहा, "इसके विरुद्ध हम सबको लड़ना होगा।" विभिन्न राज्यों में भयानक दंगा-फसाद हुए जिसमें हजारों मरे तथा घायल हुए। भाजपा, बजरंग दल, विहिप और कई ऐसी मुख्य पार्टियां ही इन दंगों के लिए जिम्मेवार थीं। इसके परिणामस्वरूप भाजपा शासित चार राज्य सरकारों को हटा दिया गया। आंगनवाड़ी महिलाओं के अन्य आंदोलनों की ओर जाते हुए उन्होंने बताया कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, प. बंगाल और अन्य राज्यों में संघर्ष किया जा रहा है। उन्होंने अंत में मजबूत संगठन बनाने की अपील की जिसके बिना हमारी बुनियादी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी। उन्होंने बैठक के सामने भविष्य के कार्य भी रखे जिसमें अगस्त माह की गिरफ्तारी तथा 9 सितम्बर '93 के भारत बंद में सभी मजदूरों को हिस्सा लेने के लिए कहा गया।

बातचीत में हिस्सा लेते हुए महाराष्ट्र की किरण मोगे ने कहा कि राज्य सरकार ने मानदेय में वृद्धि की है परन्तु जब तक केंद्र सरकार इसे नहीं बढ़ाएगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। हमने संयुक्त प्रदर्शन भी किया परन्तु कुछ मजदूर संगठनों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वे मांग दिवस के रूप में 10 जुलाई के प्रदर्शन तथा 9 सितम्बर के 'भारत बंद' के लिए योजना बना रहे थे।

तमिलनाडु के का. पलनीनाथन ने आंगनवाड़ी महिलाओं के विशाल आंदोलन के बारे में बताना। ये महिलाएं तमिलनाडु पौष्टिक भोजन योजना एसोसिएशन के अंग हैं। संगठन अब 9 सितम्बर के 'भारत बंद की तैयारियां कर रहा है। हम 86 आंगनवाड़ी मजदूरों के निलम्बन पर मुख्यमंत्री के सामने प्रतिनिधिमंडल में जाएंगे। यहां निदेशक के कार्यालय के सामने तीन बार प्रदर्शन किया गया। हमारे आंदोलन के कारण सभी की बहाली की गई। उन्होंने 12 जुलाई को प्रदर्शनों आदि के द्वारा मांग दिवस मनाए जाने की योजना पर भी विचार प्रकट किए। यहां 2000 लोगों की सदस्यता की गई तथा सम्बद्धता केंद्र को भेजी जा रही है।

प. बंगाल की का. नियोगी ने कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय दे दिया था परन्तु बकाया अभी अदा करना शेष है, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि एक दिन सांप्रदायवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने पंचायत चुनाव में

निर्वाचित आंगनवाड़ी मजदूरों की संख्या के बारे में विशेष रूप से कहा। मजदूरों को पंजाब के समान ही राजनैतिक बनाना होगा। उन्होंने अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहा कि जब तक सीटू आंगनवाड़ी महिलाओं की सहायता नहीं करता तब तक कार्य नहीं सुधरेगा।

पंजाब की का. राजविन्दर कौर ने सुरिन्दर कौर द्वारा पंजाब में एक वर्ष से किये जा रहे विघटन के बारे में वक्तव्य दिया। अब वह कांग्रेस में चली गई हैं। हमारी नई समिति सदस्यों के नामांकन का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा 50 प्रतिशत पर्यवेक्षकों के पद आंगनवाड़ी मजदूरों के लिए आरक्षित हैं, 20 प्रतिशत स्नातकों तथा 20 प्रतिशत मैट्रिक पास के लिए। प्रसूति अवकाश तथा गर्भपात अवकाश भी दिया गया है।

बिहार की का. शान्ति मिश्रा ने कहा कि सरकार द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें पद जाति के आधार पर दिए जाएंगे। क्षेत्र में लड़की के स्थान पर बहू को काम दिया जाएगा। 84 महिला मजदूरों को निलंबित कर दिया था और 128 को कारण बताओ नोटिस दिया गया। जाति परिपत्र संख्या 1373 दिनांक 11-6-92 को कुछ जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश की का. हेमलता ने 18 जिलों की 1500 महिलाओं द्वारा 16 सितम्बर 1992 को विधान सभा के सामने किए गए प्रदर्शन के बारे में कहा। उन्होंने सांप्रदायिक तालमेल पर मानव शृंखला के बारे में भी कहा। बढ़ा हुआ वेतन बकाया के साथ दिया गया था परन्तु कुछ राज्यों में वे इसे नियमित रूप से नहीं दे रहे। उसी समय वे मुख्यमंत्री से मिले। परिपत्र भी जारी किया गया परन्तु सब कुछ वैसा का वैसा ही है। सदस्यता केवल 2500 की है। यह स्पष्ट है कि महिला मंडल आई.सी. डी.एस. को नौकरी देगा।

पांडिचेरी की का. आनन्द राजन ने कहा कि आंगनवाड़ी एसोसिएशन राज्य सरकार कर्मचारी फेडरेशन से संबद्ध है। उन्होंने बोनस तथा काम करने के लिए 4 घंटे तय करने के लिए संघर्ष छेड़ने के बारे में बताया। संघर्ष के बाद आंगनवाड़ी महिलाओं ने 600 रु. तथा 500 रुपये का बोनस प्राप्त किया। पांडिचेरी में अब आंगनवाड़ी मजदूरों को पशु पालन के लिए प्रति व्यक्ति 200 रुपये दिए गए हैं। का. आनन्द राजन ने कहा कि वे 12 जुलाई को 'मांग दिवस' मनाएंगे और भारत 'बंद' में हिस्सा लेंगे।

ग्वालियर से का. मान्यता ने कहा कि यद्यपि वे राज्य में संगठन बनाने के योग्य में नहीं थे परन्तु ग्वालियर में इसे बनाया गया। हमने 7 मई को घरना किया और मार्च में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही आंगनवाड़ी में सीटू यूनियन की स्थापना के प्रयास करेंगे।

जयपुर की का. सुशीला शर्मा ने कहा कि सदस्यता केवल 1500 है। हम अखिल भारतीय सम्मेलन करेंगे, परंतु संगठन की गतिविधियां बहुत नहीं हैं। 2 मजदूरों को हटा दिया गया था परन्तु हम उन्हें बहाल कराने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने राज्य वार समिति बनाने का वायदा किया।

हरियाणा की का० सरोज वशिष्ठ ने हरियाणा में आंगनवाड़ी महिलाओं की कार्य स्थिति के बारे में बताने के बाद कहा कि सीटू को "कामकाजी महिलाओं तथा आंगनवाड़ी में अधिक रुचि लेनी होगी। हरियाणा में भाजपा ने आंगनवाड़ी महिलाओं में पकड़ बनाई हुई है।

प० बंगाल की भवतोष राय ने वर्तमान गम्भीर साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में बताया। फिर उन्होंने पंचायत चुनाव के अच्छे परिणामों के बारे में भी कहा जिसमें अधिकांश संख्या आंगनबाड़ी महिलाओं की थी। उन्होंने दूसरा सुझाव दिया कि हमारी फैडरेशन प्रायोजक समिति में हिस्सा लेगी जो हमारी भी सहायता करेगी।

राज्यों से विस्तृत विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित कार्य तथा निर्णय लिए गये। हमारी सभी इकाइयों द्वारा 12 जुलाई को मांग दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इकाइयों के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा इसे सम्प्रदाय विरोध दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, केन्द्र को सम्बद्धता शुल्क नियमित रूप से दिया जाएगा, यदि सम्भव हुआ तो राज्य सीटू से विचार विमर्श करने के बाद अगली कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वुमैन बिहार में होगी। दूसरा प्रस्ताव पंजाब तथा बिहार से आया, राज्य समिति से विचार पर द्वितीय अखिल भारतीय आंगनबाड़ी महिला सम्मेलन तमिलनाडु में होगा। अध्यक्ष का. विमल रणदिवे ने चर्चा के सारांश में कहा। और उन्होंने कर्मचारियों को नियमित करने की मुख्य मांगों को दोहराया कि जब तक आंगनवाड़ी महिलाओं का मानदेय 800-400 नहीं हो जाता तब तक प्रायोजक समिति के गिरफ्तारी कार्यक्रम तथा "भारत बन्द" को फैडरेशन गम्भीरता से लेगी। आंगनबाड़ी फैडरेशन प्रायोजक समिति से संबद्ध रहेगी।

हैदराबाद में कामकाजी महिलाओं की कक्षा

हैदराबाद में गत 23 से 25 जुलाई तक अखिल भारतीय स्तर पर कामकाजी महिलाओं की राजनीतिक कक्षा लगाई गई। इसका आयोजन अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की बंगलौर बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार किया गया। इसमें आंध्रप्रदेश से 7 प्रतिनिधियों तथा 6 आमंत्रित साथियों, केरल से 5, महाराष्ट्र से एक, बिहार से 3 तथा 1 आमंत्रित, उड़ीसा से एक, मध्यप्रदेश से 3, तमिलनाडु से 4, कर्नाटक से 3 तथा उत्तरप्रदेश से 3 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कुल मिलाकर नौ राज्यों से 35 कामकाजी महिलाओं तथा उनमें से समन्वय समिति की कई सदस्याओं ने ने बातचीत में, प्रश्नोत्तर सत्र में तथा अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया। दुर्भाग्य से प. बंगाल का कोई साथी नहीं आया और हमारे पास उसके न आने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। शायद 'भारत बंद' ही उनके रास्ते में बाधा बना होगा। कक्षा की 9 सदस्याएँ सीटू राज्य समिति से संबंधित थी।

सीटू महासचिव का. एम.के. पंधे ने राजनैतिक आर्थिकता तथा 'पूर्व समाजवादी देशों की वर्तमान स्थिति' भाषण दिया। का. सुकोमल सेन ने 'ट्रेड यूनियन' आंदोलन के इतिहास तथा 'महिला मजदूरों की भूमिका' पर अपने विचार रखे। का. श्री हरि ने 'कामकाजी महिलाओं' पर आधुनिकीकरण के प्रभाव पर' भाषण दिया। का. एन. प्रसादराव ने 'मजदूर संघों में महिलाओं' पर भाषण दिया। आई.एल.ओ. की उपनिदेशिका श्रीमती लीला नेग्मो रेड्डी ने 'आई.एल.ओ तथा कामकाजी महिलाएं' के बारे में ऑडियो-वीडियो रिकार्ड की सहायता से भाषण दिया। इससे उपस्थित महिलाओं को उनकी बात समझने में काफी आसानी हुई।

यह बात ध्यान देने योग्य थी कि विद्यार्थी सुबह 9-15 से दोपहर 1-30 बजे तक बैठे रहे। अंतिम दिन भोजन अवकाश के कुछ समय को छोड़कर कक्षा सायं 5 बजे तक जारी रही। किसी भी विषय पर भाषण के बाद प्रश्न काल बहुत रुचिकर होता था। प्रत्येक भाषण पर प्रश्न लिखी हुई बहुत सी पर्चियां आईं जो महिलाओं की रुचि तथा और अधिक जानने की इच्छा को दर्शाती थी।

भाषण से पूर्व महिलाएं व मजदूर संघों तथा मजदूर संघों के इतिहास पर नोट्स दिए गये। महिलाएं अपने समूहों में बैठती तथा भाषण पर विचार विमर्श करतीं।

सत्र के दौरान समन्वय समिति की विस्तृत बैठक 23 तारीख की सवेरे 7.30 से रात्रि 9.30 तक हुई जिसमें संगठन के कार्य से संबंधित प्रश्नों के अतिरिक्त सीटू मुखपत्रों के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया। अन्तिम प्रश्न इस विषय पर था कि किस प्रकार हम अपनी पत्रिकाओं की बिक्री बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए, राज्यों द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्ट तथा इस मोर्चे में सीटू की कमजोरी पर भी विचार किया गया।

25 तारीख को सत्र के अन्तिम दिन प्रत्येक राज्य से एक नेता ने कक्षा की उपयोगिता पर भाषण दिया तथा उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कक्षा के संचालन में कौन-कौन सी कमियां रह गयी थी। यह बहुत ही रुचिकर विषय था। उन्होंने कई बातें बताईं जिनसे हमें भविष्य में कक्षा के संचालन में सहायता मिलेगी। इस बात में संदेह नहीं कि कक्षा के संचालन से लगभग सभी लोग संतुष्ट थे।

हमारे नेतृत्व में कुछ-कुछ कमियां भी थीं जिन्हें हम दूर नहीं कर सके। का. आर. उमानाथ गाड़ी पर चढ़ने से पहले ही बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। परन्तु उनके द्वारा हैदराबाद में भेजे गए आलेख के कारण इस कमी को कुछ हद तक पूरा कर लिया गया। का. आर. वैगई की अनुपस्थिति के कारण उनका 'महिलाओं से संबंधित कानून' विषय पर भाषण नहीं हो सका। वह क्यों नहीं आई, इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थीं। तीसरे, विषयों के कुछ नोट्स भाषण के दौरान नहीं दिए जा सके। नेताओं ने उन्हें शीघ्र ही उपलब्ध कराने का वायदा किया। बंगाल के साथियों की अनुपस्थिति सभी ने महसूस की।

तीन दिवसीय कक्षा का समापन करते हुए सचिव

का. विमल रणदिवे ने विद्यार्थियों से नोट्स देने तथा निकट भविष्य में भोपाल में महिला मजदूर कैडर के लिए हिन्दी की कक्षा आयोजित करने का वायदा किया । जिसका सबने स्वागत किया । कक्षाओं की शानदार ढंग से व्यवस्था करने के लिए सभी राज्यों ने सीटू की आंध्र कमेटी का धन्यवाद किया । का. विमल रणदिवे ने साथियों से अनुरोध किया कि वे अपने नोट्स तथा भाषणों में दिए गए नोट्स के आधार पर अपने राज्यों में तथा अपनी भाषा में कक्षाएं आयोजित करें ।

'कामकाजी महिला' तथा 'वॉयस आफ वर्किंग विमन' की बिक्री के मामले पर बैठक में तथा कक्षा में भी पूरे विस्तार से चर्चा की गई । जब तक इन दोनों मुख पत्रों विशेषकर 'कामकाजी महिला' की बिक्री में वृद्धि नहीं होती, इन्हें बन्द भी किया जा सकता है । क्योंकि इन पर संगठनों को बहुत खर्च करना पड़ रहा है । इसलिए राज्यों विशेषकर हिन्दी क्षेत्र में साथी अपने कार्य स्थलों तथा समितियों में इस बात पर विचार-विमर्श करें कि किस प्रकार निकट भविष्य में बकाया शुल्क और चंदे की समय पर अदायगी करते हुए इसकी बिक्री में वृद्धि की जाए । उन्होंने आशा व्यक्त की कि सदस्य इस बात पर गंभीरता से विचार करेंगे जिससे मजदूर महिलाओं का हित सोचने वाले हमारे ये मुखपत्र जारी रह सकें ।

का. विमल रणदिवे ने कहा है कि समन्वय समिति की अगली बैठक कार्यकारिणी के साथ ही शायद असम में ही होगी । सदस्यों को इसकी पूर्व सूचना दी जायेगी । उल्लेखनीय है कि कक्षा के आयोजकों ने प्रसभा की समूची कार्रवाई तथा आंध्र प्रदेश सीटू राज्य समिति की ओर से प्रतिनिधियों के रहने-खाने इत्यादि की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया है ।

पांडिचेरी में धरना

पांडिचेरी तथा कराएकल क्षेत्र में आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं की ओर से गत 12 जुलाई को मांग दिवस मनाया गया । इसका आह्वान अखिल भारतीय फेडरेशन की ओर से किया गया था । उस दिन सेविकाओं तथा सहायिकाओं ने पांडिचेरी में विधान सभा तथा कराएकल में प्रशासक के कार्यालय के समक्ष अपराह्न 3 बजे से सायं 6 बजे तक धरने दिये । राज्य के समाज कल्याण मंत्री को मांग-पत्र भी भेंट किया गया । आंगनवाड़ी कर्मचारियों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं :

सरकारी कर्मचारियों की तरह सेविकाओं तथा सहायिकाओं को नियमित करना, चार घंटे के काम के लिए सेविका को 600 रुपये तथा सहायिका को 400 रु. प्रतिमाह मानदेय, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को एक समान वेतन तथा इसमें पाए जाने वाले अन्तर को समाप्त करना, सेविकाओं की भांति सहायिकाओं को भी मानदेय देना, 8 साल की सेवा के पश्चात् सेविकाओं को सीधी भर्ती कोटे के विपरीत समाज कल्याण संगठक के रूप में तरक्की देने, शिक्षित सहायिकाओं को तरक्की देकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, बाल सेविका तथा कंडक्ट्रैस के रिक्त स्थानों को भरना, सेविकाओं द्वारा लकड़ी तथा सब्जी की खरीद में खर्च की गई राशि का फौरी भुगतान और दस दिन का चिकित्सा अवकाश तथा सेवा काल में मृत्यु होने की स्थिति में उनके किसी निकट सम्बन्धी को तुरन्त नौकरी देना इत्यादि ।

चंडीगढ़ में भारी रैली

चंडीगढ़ में गत 12 जुलाई को आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं की ओर से निदेशक समाज कल्याण विभाग पंजाब के कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया । उनका नेतृत्व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यूनियन पंजाब की प्रधान श्रीमती राजविन्दर कौर कर रही थीं । भारी वर्षा होने पर भी राज्य भर से आई 500 महिलाएं धरने में शामिल हुईं । महिलाओं ने निदेशक को अपनी मांगों पर आधारित एक ज्ञापन भी भेंट किया ।

इस अवसर पर धरनाकारी महिलाओं को श्रीमती राजविन्दर कौर के अतिरिक्त श्रीमती सुरेन्द्र कौर रक्कड़, सुरेन्द्रजीत कौर, के.सी. शर्मा इत्यादि कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया । एक प्रस्ताव पारित करके पंजाब सरकार से आंगनवाड़ी महिलाओं को उनकी योग्यतानुसार वेतन-मान देने, विभागीय सुपरवाइजरों के पदों के लिए कार्यकर्ताओं को तरक्की देने, सफर भत्ता देने इत्यादि मांगें की गईं ।

त्रिवेणीगंज में बलात्कारी थाना प्रभारी के विरुद्ध महिलाओं का प्रदर्शन

बिहार के मधेपुरा जिला में त्रिवेणीगंज थाने के प्रभारी राम प्रताप नारायण द्वारा एक हरिजन महिला अनिता देवी के साथ थाने में बलात्कार किए जाने के विरुद्ध हजारों लोगों की ओर से गत दिनों जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी बलात्कारी थाना प्रभारी को दण्ड देने और पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक थी, हाथों में डंडे और झाड़ू पकड़े थाने के सामने एकत्रित हुए। वे अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। उसी दिन अपराह्न त्रिवेणीगंज के बस अड्डे पर भारी जनसभा आयोजित की गई।

जनसभा को जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव का. सुधा बिन्दु मिश्रा, सचिव मण्डल की सदस्य का. रामप्यारी तथा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के जिला सचिव का. बलराम यादव इत्यादि ने सम्बोधित किया। का. सुधा बिन्दु ने कहा कि महिलाओं को अपनी इज्जत-आबरू की रक्षा के लिए संघर्ष करना होगा। महिलाएं अबला नहीं हैं। वे भी मनुष्य हैं। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें आगे बढ़ना होगा। तभी वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकेंगी। कामरेड यादव ने महिलाओं से हर जुल्म के विरुद्ध संघर्ष तेज करने का आह्वान किया।

बताया जाता है कि तीन सशस्त्र अपराधी तत्वों ने अनिता देवी का उसके ससुराल हदिराहा गांव से अपहरण किया। रात्रि गश्ती में तैनात चौकीदार मो. इसराइल ने गांव के लोगों की सहायता से अनिता को अपराधियों के पंजे से मुक्त कराया तथा पुलिस को इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी ने अपराधी तत्वों को तो पकड़ा इसके साथ ही अनिता को एक अलग कमरे में बंद कर दिया। रात के समय उसने अपने साथियों की सहायता से अनिता को डराया धमकाया तथा उसके साथ बलात्कार किया। दूसरे दिन वह अनिता को अपने घर ले गया। वहां पर भी वह कुकर्म करता रहा। तीसरे दिन उसने अनिता को छोड़ दिया। उसने बाहर आकर अपनी करुण कथा सुनाई तो लोगों में भारी आक्रोश फैल गया।

जनवादी महिला समिति वैशाली का तृतीय सम्मेलन सम्पन्न

वैशाली : जिला जनवादी महिला समिति का तीसरा सम्मेलन गत दिनों हाजीपुर के प्रयाग सिंह महाविद्यालय में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव, श्रीमती मीरा सिन्हा तथा श्रीमती चन्द्रप्रभा देवी पर आधारित तीन सदस्यीय अध्यक्षमण्डल ने की। माकपा विधायिका श्रीमती मंजु प्रकाश ने झंडा लहराया तथा प्रतिनिधियों ने शहीद गान के साथ-साथ शहीद वेदी पर पुष्प मालाएं चढ़ाई।

जनावादी महिला समिति बिहार राज्य की सचिव कामरेड बिन्दु मिश्रा के उद्घाटन भाषण से सम्मेलन की विधिवत कार्रवाई शुरू हुई। का. मंजु प्रकाश ने भी प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया। कामरेड बिन्दु मिश्रा ने पिछले कामों की रिपोर्ट पेश की। बहस के पश्चात् सर्वसम्मति से रिपोर्ट पारित हुई। का. अनुशीला गुप्ता ने सम्मेलन में 18 सूत्रीय कार्यक्रम भी पेश किया।

सम्मेलन के अंत में 13 सदस्यीय जिला समिति का चुनाव किया गया। कामरेड सुधा बिन्दु मिश्रा अध्यक्ष, श्रीमती राधा सिन्हा सचिव तथा श्रीमती चौधरी कोषाध्यक्ष चुनी गईं। अध्यक्षीय भाषण के पश्चात् 'हम होंगे कामयाब' समूह गान के गायन के साथ सम्मेलन समाप्त हुआ।

कुरला में कामकाजी महिलाओं पर कर्मशाला का आयोजन

का. सरिता मोकाशी

विभिन्न ट्रेड यूनियनों के साथ सम्बन्धित कामकाजी महिलाओं की प्रतिनिधियों की एक कर्मशाला गत 7-11 जून '93 को श्रमिकों के राष्ट्रीय संस्थान, कुरला में आयोजित की गई। इसमें नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन शोलापुर शाखा की सचिव श्रीमती सरिता मोकाशी ने सीटू का प्रतिनिधित्व किया। इंटक की ओर से तीन, एच एम एस की ओर से दो, बी एम एस की ओर से 4, यू टी यू सी की ओर से एक प्रतिनिधि ने भाग लिया।

कर्मशाला के पहले दिन क्लास में भाग लेने पहुंची प्रतिनिधियों का आयोजकों द्वारा स्वागत किया गया तथा उन्हें कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी दी गई। क्लास प्रतिदिन प्रायः प्रातः 10.30 बजे से सायं 5-15 बजे तक

[शेष पृष्ठ 14 पर]

महिला एवं बाल श्रमिकों की समस्याएं

□ संध्या शैली

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का दौर तीसरी दुनिया के देशों के स्वतंत्र होने का दौर था। इसी समय हमारा देश भारत भी स्वतंत्र हुआ। पहली बार सरकार द्वारा जनता की समृद्धि हेतु बड़ी-बड़ी आर्थिक योजनाएं बनाई गईं। निजी उद्यमों के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में चलने वाले बड़े उद्योग भी खोले गए। इससे जनता के व्यापक हिस्से को सामाजिक उत्पादन में भाग लेने का अवसर मिला।

स्वतंत्रता के 46 वर्षों बाद भी पुरुष प्रधान तथा महिलाओं की उपेक्षा करने वाले रूढ़ीगत समाज में महिला समुदाय की स्थिति द्वितीय दर्जे के नागरिकों जैसी बनी हुई है। उदाहरणार्थ देश की जन संख्या का 48.16 प्रतिशत भाग महिलाएं हैं किन्तु श्रम शक्ति में उनका अनुपात केवल 15 प्रतिशत है। इस 15 प्रतिशत भाग का 94-97 भाग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। अतः रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति और समस्याओं को उनकी सामाजिक स्थिति के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिये।

प्रतिवर्ष 120 लाख बच्चियां इस देश में जन्म लेती हैं। उनमें से केवल 90 लाख अपना 15वां जन्म दिवस देख पाती हैं। 1991 में सारे देश में साक्षरता का प्रतिशत 52.11% था जबकि उसमें से 39.42 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर थी। भारत में आज भी केवल 13 प्रतिशत प्रसूतियां प्रशिक्षित नर्सों के द्वारा की जाती हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार 15-19 वर्ष तक की कुल बालिकाओं में से 43.47% की इसी उम्र में शादी हो जाती है। परिवार नियोजन के उपायों द्वारा सुरक्षित दंपत्तियों का प्रतिशत देश भर में मात्र 37.5 प्रतिशत है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि महिलाएँ समाज में पुरुषों की तुलना में न केवल हीन स्थिति में है बल्कि मातृत्व जिम्मेदारियों के चलते अधिक समस्याग्रस्त हैं। आर्थिक दृष्टि से भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किये गये सर्वेक्षण सिद्ध करते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक गरीब होती हैं। हमारे देश की 40 प्रतिशत जनता गांवों में और 28 प्रतिशत जनता शहरों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं (छठवीं पंचवर्षीय योजना का आंकड़ा) इन परिवारों में गरीबी का बोझ महिलाओं की स्थिति को और दयनीय बनाता है। गरीब परिवारों को जहां आम तौरपर हर महिला श्रमिक होती है और घर को चलाने में इस महिला की आय का हिस्सा पुरुष की तरह अहम होता है। इसके बावजूद सामाजिक उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी इतनी अपर्याप्त होती है कि उनका राष्ट्रीय आय में सहयोग मात्र 10-15 प्रतिशत का होता है जबकि उनकी लगभग पूरी उम्र घर में और बाहर काम करते हुए बीतती है। (श्रम शक्ति-एक रिपोर्ट)

देश की इस वर्तमान परिस्थिति में श्रमिक महिलाओं की समस्याओं को महिला की श्रमिक के रूप में, महिला के रूप में और एक नागरिक के रूप में स्थिति के साथ देखा जाना चाहिये।

समस्याएं बतौर श्रमिक

आज महिला श्रमिकों में से 94-97 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं। ये अक्सर कम वेतन और बिना किसी नियमानुकूल सेवा शर्त के काम करती हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की औसत प्रति व्यक्ति आय 963/- रु. प्रतिमाह थी जबकि असंगठित क्षेत्र में यही आय सिर्फ 277/- रु. प्रतिमाह थी (एस.एल. मेहता टेक्नॉलाजी फार कॉमन मैन इन इनफार्मल सेक्टर)। इन दोनों ही क्षेत्र में महिलाएं अधिकतर अकुशल श्रमिक के रूप में ही काम करती हैं चाहे वह कारखाना हो या कृषि का क्षेत्र हो। इस कारण से उसकी आय भी पुरुष की तुलना में कम ही रहती है। पी. यू. डी. आर. का एक सर्वेक्षण जो 1983 में लौह-अयस्क की खदानों में किया गया दिखाता है कि इन खदानों में ठेका मजदूर के रूप में पुरुषों के 25 प्रतिशत के मुकाबले 67 प्रतिशत महिला मजदूर थी। मध्य प्रदेश की दल्ली राजहरा खदानों में यांत्रिकी विभाग में एक भी महिला कामगार नहीं थी जबकि अकुशल ठेका मजदूरों में से करीब आधी महिलाएं थीं। कम वेतन के साथ उसे बदतर परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है। एक सर्वेक्षण यह दर्शाता है

कि असंगठित क्षेत्र की रोजगार शुदा महिलाओं का 57 प्रतिशत घर के बाहर जाकर काम करता है। इनमें से केवल 80 प्रतिशत ही "नियमित" मजदूर के रूप में काम करती हैं। उनका काम भी अकसर 10-12 घंटे का होता है। (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स सर्वे)

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला मजदूरों का शोषण इसलिए भी होता है कि फैक्टरी एक्ट होने के बावजूद महिलाओं की अशिक्षा और उनकी गरीबी की मजबूरी का फायदा उठाकर आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश, बोनस बीमा, महंगाई भत्ता आदि की सुविधाओं से वे अक्सर वंचित रखी जाती हैं। भिलाई स्टील प्लांट में ठेका मजदूर के तौर पर काम करने वाली महिलाओं को संगठित होकर संघर्ष करने के बाद 1980 में जाकर मातृत्व अवकाश मिला था। आज भी यह सुविधा मात्र 72 दिन की है। मैकेनाइजेशन एंड वर्किंग क्लास वूमैन-इलीना सेन।

तमाम राज्यों में आंगनवाड़ी क्षेत्र में महिलायें कार्य-कर्ता 400/- रु. प्रतिमाह पर एवं सहायिकायें 190/- रु. प्रतिमाह मानदेय पर काम कर रही हैं। इनकी अपनी सेवा सरकारी नहीं है और सुपरवाइजर जैसे सरकारी सेवा के पदों के लिए पदोन्नति हेतु कोई विशेष प्रावधान भी नहीं है। कुछ देशों में समाजवाद के विघटन की प्रक्रिया से कई अर्थशास्त्रियों को उदारीकरण और निजी-करण बेहतर अर्थव्यवस्था के मूल मंत्र लगने लगे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गये सर्वेक्षण तक यह बताते हैं कि उदारीकरण और निजीकरण के ये मंत्र वास्तव में उद्योगपतियों को और अधिक मुनाफा दिलाने और मेहनत कश जनता को और अधिक गरीबी की ओर ले जाने वाले मूलमंत्र हैं। उदारी-करण और निजीकरण से सबसे पहले महिलाएं और बच्चे प्रभावी होते हैं जो तीसरी दुनिया के देशों की आबादी का 75 प्रतिशत हैं। हमारे देश में भी आज अर्थ-व्यवस्था को उसी राह पर ले जाया जा रहा है। लाइसेंस प्रणाली की व्यवहारिक रूप से समाप्ति, लघु मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में बड़े उद्योगों को छूट, विदेशी पूंजी का उदारतापूर्वक प्रवेश और निर्गम नीति के जरिए बंदी-छंटनी को सुलभ बनाने से सबसे पहले अकुशल मजदूरों और उनमें भी अकुशल महिला मजदूरों को भविष्य खतरे में पड़ा है। हिन्दुस्तान लीवर, में एण्ड बेकर, सीबा गाइगी जैसी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी बहुत सी इकाइयों में इन नई अर्थ-नीति का फायदा उठाकर मजदूरों की संख्या कम कर दी है। इनमें महिलाओं की बड़ी संख्या है।

पिछले एक वर्ष में ही 1,20,000/- निजी कंपनियां और 200 सार्वजनिक उपक्रम बीमार घोषित कर दिये गये हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की पूंजी के अनिवेश से बड़े पैमाने पर उद्योगों में बंदी और छंटनी से एक वर्ष में 66 लाख मजदूरी आज बेरोजगार हो चुके हैं। "एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 91" महिला मजदूरों की छंटनीबड़े पैमाने पर होने का उदाहरण कोयला क्षेत्र का है जहां 1957 में कुल श्रम शक्ति का 15 प्रतिशत महिला मजदूर थी जबकि 1971 में यही प्रतिशत सिर्फ 5.2 प्रतिशत रह गया था। बंदीकरण के साथ ही मशीनीकरण का शिकार भी महिला श्रमिकों को ही सबसे अधिक होना पड़ता है। कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद हुए मशीनीकरण के दौरान 50,000 महिलाए अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी हैं। मजदूरों की संख्या कम करने के लिए चलाई जा रही स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति जैसी योजनाएँ भी महिला श्रमिकों पर अधिक प्रभाव डालती । म.प्र. में दल्ली राजहरा की लौह-अयस्क खदानों में काम करने वाली 400 महिलाओं में से आधी इसी कारण अपनी नौकरी खो चुकी हैं। महिला मजदूरों को ऐसी योजनाओं पर सहमति देने के लिए न केवल प्रबन्धकों बल्कि कई बार स्वयं पतियों का दबाव भी सहन करना पड़ता है। कई बार महिला श्रमिकों की छंटनी उनके परिवार के पुरुष सदस्यों को नौकरी देने के नाम पर भी की जाती है। कोयला खादानों में ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं। सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण महिला मजदूर को प्रभावित कर रहा है क्योंकि निजी देशी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले सार्वजनिक उद्योग में अधिक महिलाएँ नौकरियां करती हैं। 1988 के आंकड़े बताते हैं कि सार्वजनिक उद्योग 1533.5 हजार महिला श्रमिकों को रोजगार मिला था जबकि निजी क्षेत्र में केवल 389-5 हजार रोजगारशुदा थी (ऑल्टरनेटिव इकानॉमिक सर्वे 92-93)।

ऐसे असुरक्षित वर्तमान व भविष्य की हालत में जीने

वाली महिला मजदूर को और भी अनेक समस्याएँ हैं जैसे कार्य क्षेत्र के पास झूलाघर का न होना कार्य क्षेत्र पर भोजन अवकाश के लिए अलग से कमरे का न होना, कार्य के दौरान विशेष शारीरिक स्थिति में लगातार रहने से उत्पन्न समस्याएँ व रोग, हानिकारक उत्पादों के संपर्क में आने से होने वाली परेशानियां, कार्य के अधिक घंटे और उसके कारण होने वाले मानसिक तनाव से उत्पन्न समस्याएँ।

महिला के रूप में महिला श्रमिक

महिला होने के नाते महिला श्रमिकों को यौन अत्याचारों का भी शिकार होना पड़ता है। वीरान जगह व काम का समय भी महिला श्रमिक की यौन सुरक्षा को प्रभावित करता है। म.प्र. के परासिया के जंगलों में लकड़ी बीनकर ले जाने वाली कृषक आदिवासी बालिकाओं के साथ वन विभाग के कर्मियों द्वारा किया गया सामूहिक बलात्कार उसका उदाहरण है। घरों में काम करने वाली औरतें अक्सर इस शोषण का शिकार होती हैं। उ. प्र. और राजस्थान के कुछ इलाकों में दलित मजदूर परिवारों की औरतें जो भू-स्वामियों के यहां काम करती हैं व जीवन यापन के लिए इन पर निर्भर रहती है इस तरह की वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर की जाती हैं।

नागरिक के रूप में समस्याएँ

जिन देशों में पूरा समाज ही विकास में पिछड़ रहा हो तथा आम नागरिक की सामाजिक-आर्थिक स्थिति दयनीय हो वहां महिला श्रमिक की उस बदहाल समाज की एक इकाई नागरिक—के रूप में दुर्दशा को अलग से नहीं समझा जा सकता। नागरिक के रूप में यहां महिला श्रमिक की समस्याएँ समूचे समाज की उन्नति की समस्याओं से जुड़ जाती हैं। आर्थिक विकास नागरिकों के शैक्षणिक व जीवन स्तर के विकास के बिना सम्भव नहीं है। 1992-93 के बजट में कई स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि में 98.9 प्रतिशत तक की कम हुई है। देश की सिर्फ 20 प्रतिशत जनता के ही चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। पेयजल सुविधा के विस्तार पर आवंटित राशि में 1991-92 की तुलना में 59.3 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले से ही अपर्याप्त थी। अब वह और कमजोर हो गई है। शिक्षा पर पहली पंचवर्षीय योजना में कुल बजट का 7.86 प्रतिशत कम किया गया था जबकि सातवीं योजना तक आते-आते यह प्रतिशत 3.70 प्रतिशत रह गया। इन कटौतियों से जहां समूचे समाज के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है बल्कि आगामी विकास की सम्भावनाएं भी क्षीण पड़ रहीं है। इस संदर्भ में समाज के कमजोर हिस्सों महिलाओं और बच्चों की स्थिति और अधिक दयनीय होती जायगी।

उपरोक्त परिस्थितियों से जहां महिलाओं और बच्चों को अधिक से अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में श्रम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है वहीं महिलाओं की सामाजिक उत्पादन में सम्मानजनक व समतामूलक भागीदारी भी असम्भव होती जा रही है। देश की कुल जनसंख्या का करीब आधा भाग होने के बावजूद श्रमशक्ति में उनका भाग 15 प्रतिशत का होना ही नागरिक के रूप में उनकी समाज में निम्न स्थिति व निम्न भूमिका को उजागर करता है।

ट्रेड यूनियन संगठनों व नीति निर्धारण में भी महिला श्रमिकों का अनुपात उनकी संख्या की तुलना में बेहद कम है। ट्रेड यूनियन आंदोलन की चेतना व मांगों में भी उनकी उपेक्षा होती रही है।

बाल श्रमिक

इस देश में स्वतंत्रता के 46 वर्ष बाद भी बाल श्रमिकों की उपस्थिति देश की प्रगति के आख्यानों, की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। हमारे देश में 1990 में 280 लाख युवा बेरोजगार थे और 1995 तक इसमें 370 लाख और जुड़ जायेंगे। इसी देश में 440 लाख बच्चे रोजगारशुदा हैं, श्रमिक हैं। आज हमारे देश में जो औद्योगिक और आर्थिक नीतियां बनाई जा रही हैं उससे युवा श्रमशक्ति और अधिक बेरोजगार होगी और परिवार का भरण-पोषण करने के लिए और अधिक बच्चे अपनी श्रमशक्ति सस्ते मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर होगें। 1981 की जनगणना यह भी दर्शाती है कि कुल श्रमशक्ति का 17.73 प्रतिशत बालिका श्रमिकों का था जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम थी। इसके साथ ही यह दुखद तथ्य भी है कि 1971 से 1981 के बीच 10 वर्षों में बालिका श्रमिकों में ग्रामीण क्षेत्र में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमारे यहां बाल श्रमिक चाय-बागान, दक्षिण में

शिवकाशी के आतिशबाजी उद्योग, म.प्र. में स्लेट उद्योग उ.प्र. राजस्थान के कालीन उद्योग आदि में बड़े पैमाने पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त लाखों बच्चे होटलों व घरों में काम करते हैं,। कूड़ा बीनते हैं, बीड़ी बनाते हैं। ये बच्चे देश के दुखद और शर्मनाक वर्तमान और शोचनीय भविष्य का प्रतीक हैं। इन बालकों की मुख्य समस्या इनके मालिकों द्वारा इन्हें श्रमिक मानने से इन्कार करना है। क्योंकि कानूनन बाल श्रमिक रखे नहीं जा सकते। शिवकाशी के बच्चों पर दूरदर्शन पर हाल में दिखाई गई फिल्म इसका प्रमाण है। शिवकाशी में 12.7.91 को आतिशबाजी कारखाने में हुए भयंकर अग्निकांड में मारे गए 70 मजदूरों में से 37 बच्चे थे। जाहिर है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद बच्चों से खतरनाक विभागों में काम कराया जाता रहा है। इन बाल श्रमिकों का कोई सही आंकड़ा इनके नियोक्ताओं के पास नहीं है। बच्चों से काम लेने के कोई निश्चित घंटे नहीं भी हैं। बच्चों को भूखा रखकर भी काम लिया जाता है। इन तमाम समस्याओं के बावजूद गरीबी और परिवार की भुखमरी के कारण बच्चे बाल-श्रमिक बनने को मजबूर हैं। म.प्र. के मंदसौर में स्लेट पेंसिल उद्योग में काम करने वाले बच्चे लगातार बिना किसी कानूनी संरक्षण के काम करते आ रहे हैं। यू.पी. और राजस्थान के विभिन्न जिलों में बनने वाले सुन्दर कालीन जिनके निर्यात से भारत सरकार करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। इस देश के बाल श्रमिकों की नाजुक उंगलियों से बने होते हैं। अकेले मिर्जापुर क्षेत्र में इस उद्योग में 1,50,000 बच्चे लगे हैं जो ज्यादातर बंधुआ मजदूर हैं। ये बच्चे कुपोषण और अतिश्रम के शिकार बन रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के चाय बागानों में काम कर रहे बाल श्रमिक प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 को अंगूठा दिखा रहे हैं। इन राज्यों में 1987 की गणना के अनुसार 80,357 बाल श्रमिक थे। जिसमें 58,616 बाल श्रमिक आसाम के हैं। बीड़ी उद्योग की स्थिति बड़े पैमाने पर दयनीय बनी हुई है चूंकि यह उद्योग कुटीर उद्योग है। इस कारण घरों में 7-8 वर्ष की लड़कियां भी इसमें लगी हुई हैं। भारत में इन उद्योगों के अतिरिक्त सबसे अधिक बाल श्रमिक कृषि क्षेत्र में हैं। 1979 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बाल श्रमिक आंध्र प्रदेश (6,77,974) और इसके बाद म.प्र. में है।

इन परिस्थितियों में सरकार की इन बाल श्रमिकों के पुनर्वास, शिक्षा एवं भोजन की व्यवस्था करनी चाहिये एवं उन्हें खतरनाक कामों से तत्काल दूर करने के लिए सही कदम उठाने चाहिये। तमाम ट्रेड यूनियनें और स्वैसेवी संगठन इसके लिए आवाज उठा रहे हैं।

निष्कर्ष :—

महिलाएँ व बच्चे समाज के कमजोर तबके होते हैं। वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में इन तबकों की श्रमिक के रूप में भूमिका आम श्रमिक वर्ग की तुलना में कुछ अतिरिक्त समस्यायें व विविधायें पैदा करती हैं। इस संदर्भ में ही उनकी स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है।

कामगार महिलाओं और बाल श्रमिकों के जीवन की बेहतरी के लिए सामाजिक आर्थिक ढांचे में ऐसे बुनियादी और समतामूलक परिवर्तनों की दरकार है जो सामाजिक उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें और बाल श्रमिकों को श्रम से मुक्ति दिलाकर शिक्षा व विकास की सुविधायें उपलब्ध करा सकें।

तात्कालिक तौर पर वर्तमान श्रम कानूनों को इस योग्य बनाना आवश्यक है कि वे महिला श्रमिकों की समता व सुरक्षा को सुनिश्चिय बना सकें। बच्चों के श्रमिकों के रूप में शोषण को रोक सकें। इसके लिए ऐसे प्रशासनिक, सामाजिक व राजनैतिक कदम उठाना भी आवश्यक है जो श्रम कानूनों के प्रभावशाली क्रियान्वयन की गारंटी कर सकें।

ट्रेड यूनियनों व सामाजिक संगठनों में महिला श्रमिकों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि, नीति निर्धारण में महिला श्रमिकों की भागीदारी और ट्रेड यूनियन मांगों तथा श्रमिक प्रबंधक चर्चाओं व समझौतों के दौरान महिला श्रमिकों के हितों व बाल श्रमिकों की मुक्ति को उचित स्थान दिया जाय।

गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली—नर्सों की शानदार जीत

गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली के चिकित्सा अधीक्षक श्री आर. डी. बंसल द्वारा गत 10 जुलाई को एक आदेश जारी करके फार्मासिस्टों के काम का बोझ नर्सों के कंधों पर डाल दिया गया। यह जानकारी अस्पताल इम्पलाइज यूनियन तथा नर्सेज यूनियन द्वारा जारी किए गए एक संयुक्त वक्तव्य में दी गई।

वक्तव्य में बताया गया है कि उक्त अस्पताल की नर्सें पहले ही कार्य के अमानवीय बोझ के नीचे दबी हुई हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान अस्पताल में सैकड़ों नए बिस्तरों की वृद्धि हुई है किन्तु उनकी तुलना में नर्सों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। नर्सों को उनकी ड्यूटी समय के अतिरिक्त और अधिक समय तक काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्रवाई दिल्ली के और किसी भी अस्पताल में नहीं होती। नर्सों की संख्या बढ़ाने के लिए बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी प्रबंधन की ओर से उसका उपयुक्त प्रतियुत्तर नहीं दिया गया।

इसी पृष्ठभूमि में चिकित्सा अधीक्षक नर्सों पर काम का अतिरिक्त बोझ लादने का प्रयास कर रहा है। दवाइयों का काम विशेषज्ञता वाला काम होता है। केवल फार्मासिस्ट ही यह काम कर सकते हैं और वही यह काम करने के उचित एवं कानूनी तौर पर अधिकारी हैं। अस्पताल के प्रबंधन के इस फैसले से न केवल मरीजों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा अपितु नर्सों के ऊपर भी काम का असहनीय बोझ पड़ेगा। विश्व के किसी भी प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। यहां तक कि दिल्ली के किसी भी अस्पताल में ऐसा नहीं होता।

चिकित्सा अधिकारी ने नर्सों को 15-7-93 से यह काम करने का निर्देश दिया है। नर्सों ने एकता का परिचय देते हुए संयुक्त रूप से यह काम करने से इंकार कर दिया है। प्रबंधन ने धमकी दी है कि यदि नर्सों ने इस मनमाने और गैर कानूनी आदेश को नहीं माना तो उसकी ओर यूनियन के नेताओं के विरुण कार्रवाई की जाएगी। प्रबंधन द्वारा अपना मनमाना और गैर कानूनी आदेश वापस नहीं लिये जाने की स्थिति में नर्सें कठोर कार्रवाई करने की योजना बना रही हैं। यूनियन ने सभी जनवादी एवं प्रगतिशील वर्गों से नर्सों के इस न्यायोचित संघर्ष का समर्थन करने की अपील है।

[गुरु तेग बहादुर अस्पताल की नर्सों ने सफलतापूर्वक प्रबंधन के आदेशों को लागू नहीं होने दिया। प्रबन्धन ने आदेशों को लागू कराने के लिए हर संभव प्रयास किए। 70 नर्सों को कारण बताओ नोटिश दिये गये। तथा यूनियन नेताओं को नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी दी गई है। उन्होंने 3 स्टाफ नर्सों की तदर्थ आधार पर भर्ती भी की। उन्हें आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया, परंतु उन नर्सों ने भी अपनी नियुक्ति के पहले ही दिन से इन गैरकानूनी आदेशों को मानने से मना कर दिया।

अन्ततः नर्सों ने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। जिस चिकित्सा अधीक्षक ने इन आदेशों को जारी किया था उसका स्थानांतरण कर दिया गया है। नये फार्मासिस्टों को नियुक्त किया गया। नये चिकित्सा अधीक्षक ने अपने पूर्व अधीक्षक के आदेशों को वापस ले लिया है। उन्होंने नर्सों के विरुद्ध शुरू की गई अनुशासात्मक कार्यवाही को भी रोक दिया है।] —सम्पादक

[पृष्ठ 9 का शेष

लगाई जातीं। इसमें महिलाओं, बाल मजदूरों सम्बन्धी कानून तथा उनकी समस्याओं, विभिन्न विधेयकों में महिलाओं सम्बन्धी किये गये प्रावधानों, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा उसके कामों, पारिवारिक स्वास्थ्य तथा महिलाओं की आवश्यकताएं और दूसरे ज्वलंत विषयों पर विचार करने के अतिरिक्त सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता।

संस्थान के अधिकारियों तथा प्रमुख महिला कार्यकर्ताओं ने कर्मशाला में पधार कर अपने विचार व्यक्त किये। सीटू की उपाध्यक्ष का. अहिल्या रांगनेकर के अतिरिक्त श्री एम ए वर्मा (टाटा स्कूल), डाक्टर वसुंधरा आप्टे (बम्बई), श्रीमती शकुन्तला सर्वे (बम्बई) तथा श्रीमती मंजू वर्मा (बम्बई), इत्यादि विशिष्ट महिला अतिथियों ने कर्मशाला में भाषण दिये।

इस अवसर पर एड्स तथा पारिवारिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर फिल्में दिखाई गईं तथा बाद में उन पर विचार किया गया। का. अहिल्या रांगनेकर द्वारा 'महिला संगठनों की आवश्यकता' विषय पर दिये गये भाषण की सर्वत्र सराहना की गई। प्रत्येक प्रतिनिधि ने बहस में भाग लेकर अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

बिहार की आंगनवाड़ी सेविकाओं का आंदोलन जारी : पटना में धरना

बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका एवं कर्मचारी संघ के बैनर तले गत 29 जून से आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने बिहार के मुख्यमंत्री के समक्ष अम्बेडकर चौक, पटना में दो दिवसीय धरना दिया। पटना के इस ऐतिहासिक धरने में लगभग 800 महिलाओं ने भाग लिया। धरने का नेतृत्व संघ की महामंत्री श्रीमती शान्ति मिश्रा कर रहीं थीं। इस अवसर पर सेविका एवं सहायिकाओं को सम्बोधित करते हुए श्रीमती मिश्रा ने संघ के सदस्यों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कुछ सेविकाओं द्वारा अपनी शक्ति को कम करके आंकने की प्रवृति पर आक्रोशपूर्ण असहमति व्यक्त की। उन्होंने रोषपूर्ण मुद्रा में कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने एक सर्वेक्षण में यह स्वीकार किया है कि भारत में बाल श्रमिकों की संख्या अत्यधिक है। यह सब केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते ही बढ़ रहा है। हम सभी महिला एवं बाल-कल्याण विभाग से जुड़ी कार्यकर्त्ता हैं। हम सबका नैतिक दायित्व हो जाता है कि इस आंकड़े को चुनौतीपूर्ण स्वीकार करेंगे और उसमें कमी हेतु काम करने के साथ-साथ राष्ट्र के हित में समर्पित हो जाये। यह सब बिहार सरकार की सहभागिता पर निर्भर करता है। विडम्बना तो यह है कि सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाली जनता दल सरकार के कार्यकाल में महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बाल-अपहरण की वारदात तो अब आम हो गयी है। ऐसी स्थिति में महिलाएं अपनी मानसिकता में बदलाव लाएं और इसी स्थल पर वह संकल्प लेकर जाएं कि हम सभी अपने स्तर पर इस आंकड़े को कम करने का प्रयास करती रहेंगी।

सभा को सम्बोधित करते हुए बिहार राज्य खेत-खलिहान महिला संघ के महामंत्री श्रीमती अंजू पाण्डेय 'दैत्तनयी' ने संघ की मांग को औचित्यपूर्ण ही नहीं बल्कि अनिवार्य बताया। श्रीमती पाण्डेय ने कहा कि जनता दल सरकार की महिला उत्थान की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में भी संघ की 18सूत्री मांगें बिल्कुल ही जायज है। संघ की अध्यक्षा श्रीमती सुशीला देवी ने आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के शोषण की बिन्दुवार चर्चा की। उन्होंने यह बताया कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 1992 में यह बात स्वीकार की गयी है कि आंगनवाड़ी कार्यक्रम के चलते बच्चों की मृत्यु-दर में कमी आई है। किन्तु इसके बाद भी उनकी मांगों के औचित्य को नकारना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए डूब मरने जैसी बात है। ज्ञातव्य है कि अध्यक्षा की ख्याति एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के रूप में है और इनकी राजनीति विज्ञान में भी गहरी पैठ है। उन्होंने वर्तमान सरकार द्वारा आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं की समस्याओं पर अपनाए गए उपेक्षात्मक दृष्टिकोण के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जुर्म करना और जुर्म सहना दोनों ही अपने आप में अपराध है। अतः अब समय आ गया है कि हम सभी अपने उत्पीड़न के प्रतिकार हेतु कमर कसकर तैयार हो जाये।

सभा को बिहार राज्य चिकित्सा जन-स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री श्री राधा रमण सिन्हा, बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका एवं कर्मचारी संघ की श्रीमती शीला सिन्हा मसोढ़ी, श्रीमती सुभद्रा सिंह फतुहा, श्रीमती सुनैना देवी तारापुर, श्रीमती कमला सिन्हा बरबीघा, श्रीमती शैल कुमारी घनरुआ एवं कुमारी संध्या पाण्डेय सिकन्दरा ने भी सम्बोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका एवं कर्मचारी संघ के कार्यालय मंत्री श्रीमती धर्मशीला सिन्हा ने किया।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये

वार्षिक चन्दा : 12 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी ग्राई टी यू 15, ताल कटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

अगला संयुक्त महिला सम्मेलन बीजिंग में होगा

चतुर्थ संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन चीन की राजधानी बीजिंग में 1995 में होने जा रहा है। यह 4 से 15 सितम्बर तक चलेगा। इस सम्मेलन में जहां 1985 में आयोजित नैरोबी सम्मेलन के फैसलों पर क्रियान्वयन की समीक्षा की जायेगी, वहीं उसमें बनाई गई रणनीति की रोशनी में महिलाओं की प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु कदम भी सुझाए जायेंगे। इसमें लिए जाने वाले विषयों में महिलाओं को और जागरूक बनाना, उन्हें निर्णय लेने में सक्षम करना, साक्षरता, गरीबी, स्वास्थ्य, हिंसा, शरणार्थी तथा तकनोलोजी इत्यादि शामिल हैं।

महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वस्तुतः सदस्य देशों की सरकारों और अन्तर-सरकारी प्रतिनिधि मंडलों की बैठक ही होती है। उसमें संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधि और सरकारी पर्यवेक्षकों के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ई सी ओ एस ओ सी) के सलाहकारों का दर्जा प्राप्त होता है, भी भाग लेते हैं। कुछ चुने हुए गैर-सरकारी संगठनों जिन्हें सलाहकार का दर्जा प्राप्त नहीं है, को भी बीजिंग सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इन्हें महिलाओं के दर्जे सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र आयोग की मार्च 1993 की बियाना बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

सम्मेलन से पांच दिन पूर्व गैर सरकारी संगठनों के फोरम की बैठक शुरू हो जायेगी। यह 30 अगस्त से शुरू होकर 8 सितम्बर तक चलेगी। सम्मेलन के प्रतिनिधि भी इसमें भाग ले सकेंगे। इस फोरम में विश्व भर की महिलाओं को एक साथ बैठने और अपनी समस्याओं पर गहन विचार करने का अवसर मिलेगा। वास्तव में इस फोरम की स्थापना ही इसी उद्देश्य को सामने रख कर की गई है कि सम्मेलन के अवसर का लाभ उठाकर विश्व भर के महिला संगठन वहां अपनी-अपनी संगोष्ठियां, कर्मशालाएं, पैनलों में बंटकर विचार-विमर्श करने तथा प्रदर्शनियां इत्यादि आयोजित कर सकें। वे दूसरे देशों की महिलाओं के साथ अपनी समस्याओं की चर्चा करें। 'समानता विकास तथा शांति के लिए कार्रवाई' जैसे मूल विषय या इसी से सम्बन्धित कुछ अन्य विषयों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करें।

फोरम में सभी संगठनों के लिए प्रवेश खुला होगा। चीन सरकार उन सभी संगठनों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं जो इसमें भाग लेना चाहेंगे। पंजीकरण सम्बन्धी पत्र बैठक से कुछ मास पूर्व आयोजन-समिति द्वारा उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

ज्ञातव्य है कि पिछले लगभग दो दशकों में ऐसे तीन सम्मेलन हो चुके हैं। पहला सम्मेलन 1975 में मैक्सिको शहर में हुआ था। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महिला दशक (1976-1985) मनाने की घोषणा हुई थी। इसका मूल विषय था—समानता, विकास तथा शांति। दूसरा सम्मेलन महिला दशक के मध्यांतर अर्थात् 1980 में कोपेनहेगन में किया गया। इस सम्मेलन के उप-विषय थे—रोजगार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा। इसमें विकास, राजनीति, निर्णयकारी संस्थाओं या स्थिति, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति जैसे कार्यों में महिलाओं की पूर्ण और समान भागेदारी सुनिश्चित बनाने के लिये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय रणनीति स्वीकार की गई थी। तीसरा सम्मेलन कीनिया की राजधानी नैरोबी में महिला दशक के अन्तिम वर्ष 1985 में हुआ था। इसमें पिछली उपलब्धियों की समीक्षा करने के साथ-साथ महिला-विकास के मार्ग में आने वाली रुकावटों का पता लगाया गया और सन् 2000 तक महिला-विकास की दूरगामी रणनीतियां स्वीकृत की गई।

विश्व सम्मेलन की प्रमुख महासचिव तनजानियां की गर्टरुड मोंगेला ने आशा व्यक्त की है कि बीजिंग सम्मेलन में तथा गैर सरकारी संगठनों के फोरम की बैठक में सामान्य महिलाएं भारी संख्या में भाग लेंगी। उन्होंने सम्मेलन के फैसलों तथा फोरम के निष्कर्षों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर करने का आह्वान किया है। यही समय है जब महिलाएं सम्मेलन में भाग लेने वाले सरकारी प्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं की प्रभावी जानकारी दे सकती हैं।

बनारहाट चाय बागान के शहीद कर्मचारी

विमल रणदिवे

पश्चिम बंगाल के जलपाई गुड़ी जिले में बनारहाट नामक स्थान पर 'रैड बैंक' चाय बागान के 11 श्रमिकों की हत्या कर दी गई। यह चाय बागान कलकत्ता के रोबिन पाल का है। गुंडों के हमले में 35 से अधिक श्रमिक बुरी तरह घायल हो गए। यह चाय बागान सीटू का गढ़ माना जाता है। इसके 80 प्रतिशत कर्मचारी सीटू के साथ सम्बन्ध रखते हैं। शेष का सम्बन्ध इंटक से है। घटना वाले दिन श्रमिकों की ओर से अपनी मांगों के लिए जुलूस निकाला जा रहा था। सीटू के 1000 से भी अधिक कार्यकर्ता जुलूस में शामिल थे जबकि इंटक के साथ सम्बन्ध रखने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या केवल 25-30 के बीच ही थी। जुलूस बड़ी शांति से आगे बढ़ रहा था। यही कारण है कि जब सायं 5.30 बजे के आसपास जब यह खबर मिली कि जुलूस में लड़ाई-झगड़ा हो गया है तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। फिर भी लोगों ने यही सोचा कि शायद कोई असुखद घटना घट गई हो।

वास्तव में, सारी गड़बड़ इंटक के समाजविरोधी युवा लोगों द्वारा ही की गई थी। उसी दिन सवेरे लगभग 11 बजे उन्होंने युवा लड़कियों के साथ छेड़खानी की और जब लड़कियों ने प्रतिरोध किया तो वे उनके घर जला देने की धमकियां देने लगे। लड़कियां अपने काम पर जा रही थीं। वे बहुत साहसी थीं। 'अच्छा तुम जो चाहो, वो कर लेना, हम भी देख लेंगे' लड़कियों के ऐसे साहसिक और रोबीले उत्तर को सुन कर गुण्डे चले गए, किन्तु वे भड़क जरूर उठे। तभी उन्होंने बदला लेने की ठान ली। इस बात पर भी सभी लोग आश्चर्यचकित हैं कि जिस समय गुण्डे पिस्तौल, तलवारें, बम्ब, 'कर्चो' तथा धनुष-बाण इत्यादि घातक हथियार बागान में लाकर जमा कर रहे थे, उस समय किसी ने उन्हें ऐसा करते देखा क्यों नहीं। इस शस्त्रों का सायं 5-30 बजे श्रमिकों के शांतिपूर्ण जुलूस पर पूरा प्रयोग किया गया।

40 वर्षीय कामरेड रामबहादुर भुजेर जो जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, गुण्डों के हमले का पहला निशाना बने। एक जहरीला बाण उनके पेट में लगा। वह जमीन पर गिर पड़े। उनके साथ ही दो जन-जातीय छोटे लड़के शिवबहादुर तमांग तथा प्रिमिसिंग मुंडा भी गिर पड़े। तीनों बुरी तरह घायल हो चुके थे। पुलिस ने उन्हें सिलीगुड़ी के सैनिक अस्पताल में जाकर भर्ती कराया। रामबहादुर सीटू की जिला समिति का सदस्य है। वह 20 जून तक अस्पताल के सघन निगरानी कक्ष (इंटेंसिव केयर युनिट) में रहा। जब मैं विशेष अनुमति लेकर उसे और दूसरे साथियों को मिलने गई तो वह रिकवरी वार्ड में था। कुछ शब्दों के उच्चारण के साथ उसने बड़ी गर्म जोशी से हमें नमस्कार किया। इससे उसके उत्साह तथा पलांटेशन कर्मचारियों के काज के प्रति दृढ़ आस्था का परिचय मिलता है। वह हमें इंटक के हमले की पूरी कहानी सुनाएगा। हम यही सोच रहे थे। उसे पूर्णतः स्वस्थ्य होने में कुछ महीने लगेंगे।

पलांटेशन कर्मचारियों की आशंका

हम पलांटेशन कर्मचारियों के क्षेत्र का दौरा करने गए। कोई व्यक्ति भी कुछ दिन पूर्व घटी दुखद घटना के कारण वहां के वातावरण में छाई उदासी और दुख को समझ सकता था। लोग भय के मारे अभी घरों में दुबके बैठे हैं। हमारे दल के वहां पहुंचने पर 25-30 व्यक्ति एक जगह एकत्रित हो गए। सीटू तथा ए.आई.सी.डब्ल्यू. सी.के कार्यकर्ता संवाददाताओं तथा प्रेस फोटोग्राफरों सहित वहां मौजूद थे। इसी मध्य राज्य के जन-जातीय कल्याण मंत्री श्री दिजेन दाकुया भी वहां पहुंच गए।

जिस परिवार का कोई न कोई सदस्य उस दिन मारा गया था, हम उन सभी के घरों में गए। उनके माता-पिता ने हमें सारी बातें बताईं। एक माँ जेही प्रधान अपने लाडले बेटे के लिए विलाप कर रही थी। उसे रात के समय अपने बेटे के मारे जाने की सूचना मिली। तब उसका शव पुलिस थाने में ले जाया जा चुका था। एक 35 वर्षीय युवक शिफिंग लामा भी मारा गया था। उसकी पत्नी मैली भी रैड बैंक टी इस्टेट में अस्थाई

कर्मचारी है। भारत खेतरी 33 वर्ष का था। उसके तीन बच्चे हैं। वह बहुत सीधा था। उसे पता ही नहीं चल सका कि आखिर वहां हो क्या रहा है। सुभा नामक लड़का केवल 19 वर्ष का था। उसकी पत्नी तथा माता-पिता भी जुलूस में शामिल थे। बुद्धिमान कहा जाता था, केवल 22 वर्ष का था। वह अपने पीछे पांच बच्चे छोड़ गया है। उसकी पत्नी भी चाय बागान में काम करती है।

30 वर्षीय कामरेड भारत खेतरी जुलूस का नेतृत्व करने वालों में से थे। बम्ब हमले में उनका शरीर टुकड़े-टुकड़े हो गया। इस कारण उनके शव को पहचाना नहीं जा सका। उनकी पत्नी तथा तीन बच्चे भी चाय बागान में काम करते हैं। श्रीमती मालुनी नगारिया की बतानु नगारियां के साथ केवल दो वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी। जुलूस का नेतृत्व कर रहे कामरेड बंडर चुरान भी मारे गए। वह सीटू के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थे। जब हमने श्रीमती शोभाराम से पूछा कि उसके पति कैसे मारे गए, तो वह दो मिनट तक कुछ नहीं बोल सकी। उसका चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। वह बहरी थी। इसलिए वह मेरी बात सुन या समझ नहीं सकती थी। वह काफी कमजोर थी। यह 32 वर्षीय महिला काफी समय बाद ही हमें कुछ कह सकी। शायद उसके हाथों में उसका दो वर्षीय बच्चा भी था। उसने बताया, "मेरा पति घर वापस नहीं आया था, इसलिए रात के समय मैं उसे ढूंढने के लिए निकली। थाने में कई व्यक्तियों के शव पड़े थे। बम्ब हमले में उसके सिर के टुकड़े-टुकड़े हो गए थे। इसलिए उसके आधे धड़ को देखकर ही मैं उसे पहचान सकती थी।" यह कैसी दुखद कहानी थी। जुलूस में शामिल 45 वर्षीय शिव लखन गवाला का क्या कसूर था। 45 वर्षीय धर्मदास की हत्या कर दी गई। उसका घर तोड़ दिया गया। अब वहां कुछ भी शेष नहीं रहा। उसका परिवार अन्यत्र कहीं चला गया है। उसकी 15 वर्षीया बच्ची पुनया नेत्रहीन है।

गुंडों के हमले में घायल हुए 35 व्यक्ति, इस समय अस्पताल में हैं या अपने-अपने घर चले गए हैं। जनता में और जन-नेताओं में केवल एक प्रश्न की गूंज सुनाई दे रही है। आखिर ऐसे जघन्य हमले का कारण क्या था? क्या मजदूर हड़ताल पर थे, या संघर्ष कर रहे थे या सीटू नेताओं की ओर से कोई उत्तेजक कार्रवाई की गई थी? कुछ लोगों का कहना है कि कुछ दूसरे लोग रोबिन पाल से उसका बागान खरीदना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेसी गुण्डे उन कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से महिलाओं से बदला लेना चाहते थे क्योंकि उन्होंने न केवल पंचायत चुनावों में बढ़-चढ़ कर मतदान किया था अपितु चुनाव जीता भी था। यह बात भी सुनी जा रही है कि प्रति दिन सीटू यूनियन और माकपा के एक कार्यकर्ता की हत्या की जाएगी। यह रिपोर्ट भी सुनने को मिली कि लड़ाई शुरू होने पर पुलिस वहां से भाग खड़ी हुई और जब सब कुछ हो गया तो वह पुनः घटना स्थल पर पहुंच गई। उसने (पुलिस) सभी शवों को अपने कब्जे में ले लिया।

अपने दौरे के अंतिम पड़ाव में हम उस स्थान पर पहुंचे जहां 15 तारीख को वह खूनी घटना घटी थी। और जहां जुलूस पर हमला किया गया था। महिलाएं तथा पुरुष 'शहीद वेदी' के गिर्द घेरा डाल कर उदास मुद्रा में बैठे थे। बीच में 12 कार्यकर्ताओं के शव रखे गए थे। प्रत्येक शव के आगे फूल और लाल झंडे गिरे हुए थे। ये वे शहीद थे जिनकी इंटक के गुण्डों ने हत्या कर दी थी। मैं, कामरेड आनन्द पाठक महासचिव अखिल भारतीय पलांटेशन वर्कर्स फेडरेशन, अजित सरकार, सीटू की ओर से कामरेड राम शंकर, तथा सिलीगुड़ी के दूसरे साथी, कामरेड आसू सरकार तथा महिला समिति की कार्यकर्ताएं अर्थात् हम सभी, उन शहीदों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए वहां एकत्रित हुए।

वाम मोर्चा सरकार तथा जन-जातीय कल्याण मंत्री द्वारा इस जघन्य हत्याकांड की जांच की जायेगी। हमने बागान के मालिक से पूछताछ करने तथा मारे गए साथियों के परिवारों और घायलों को मुआवजा देने की मांग की है। घटना की न्यायिक जांच होगी। अखिल भारतीय पलांटेशन वरकर्स फेडरेशन द्वारा भी पीड़ित कार्यकर्ताओं के परिवारों को सहायता की जाएगी।

हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ये कदम काफी नहीं हैं और न ही श्रमिक इतने भर से संतुष्ट होंगे। जब तक वहां भय का वातावरण रहता है, समूहों पर हमले करके प्रतिशोध लिये जाने की आशंका बनी हो तब तक स्थिति का दृढ़ता और साहस के साथ सामना

करना होगा। जब तक इंटक के गुंडे ठीक रास्ते पर नहीं आते उन्हें चुनौती देनी होगी। सीटू भी स्थिति पर काबू पाने के लिए कारगर कदम उठाएगी।

कुछ समाचार पत्रों में ऐसी रिपोर्टें भी प्रकाशित हुई हैं कि शायद बागान का मालिक तालाबंदी घोषित कर दे। वह श्रमिक नेताओं तथा वकील संघ के सदस्यों से बातचीत नहीं कर रहा। मालिक किसी और व्यक्ति को अपना बागान बेच देगा और प्रमुख कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकाल देगा। ऐसा कुछ भी होने की सम्भावनाएं हैं। सीटू तथा फेडरेशन के नेता किसी भी चुनौती का सामना करने के लिये तैयार हैं। कार्यकर्ताओं ने मुझसे कहा था कि मैं इस सम्बन्ध में इंटक वालों से बात करूं। इस मामले की प्रकृति कुछ भी क्यों न हो, इस समय बंगाल भर में बागान कर्मचारियों पर जघन्य हमला करने के लिये इंटक की तीव्र निंदा की जा रही है। इसमें संदेह नहीं कि सीटू तथा बागान कर्मचारियों की बनारहाट शाखा परीक्षा की इस घड़ी में खरी उतरेगी। वह एक बार फिर बागान कर्मचारियों में साहस का संचार करेगी और उनमें विश्वास जगाएगी। 'रैड बैंक बागान' वास्तव में ही 'रैड' है। उसे दूसरी यूनियनों से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता। रैड बैंक की धरती पर श्रमिकों का रक्त बहा है। एक बार कर्मचारियों के पक्ष में स्थिति बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं।

कामरेड सूर्यवती नहीं रहीं

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की आंध्र-प्रदेश इकाई की प्रमुख नेता तथा महिला आंदोलन की पुरोधा का. सूर्यवती नहीं रहीं। गत 10 जुलाई '93 को अचानक उनका निधन हो जाने से राज्य भर में शोक की लहर दौड़ गई। वह आंध्र महिला संगम की संस्थापिका थीं। इसमें संदेह नहीं कि कामरेड सूर्यवती जैसे अत्यंत सादा और अपने आदर्शों के लिए समर्पित साथी बहुत ही कम होते हैं। लोग घंटों तक उनके भाषण शांति एवं धैर्य के साथ सुनते थे।

कामरेड विमल रणदिवे ने का. सूर्यवती के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हमने महिला आंदोलन में एक साथ मिलकर काम किया है। एक ही मंच से भाषण दिए हैं और इकठ्टी रहती रही हैं। वह अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की केन्द्रीय कार्यकारिणी की सदस्या थीं। वह प्रायः सभी बैठकों में भाग लेतीं। बाद में वह आंध्र महिला संगम जो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ही इकाई थी, के लिए काम करने लगीं। महिला आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने विभिन्न जिलों के दौरे किए। जहां कहीं भी, किसी भी आवश्यक कार्य के लिए उनकी आवश्यकता पड़ती, वह वहां अवश्य पहुंचतीं।

का. सूर्यवती का सारा परिवार ही पूरी दृढ़ता के साथ माकपा से जुड़ा हुआ है। उनकी बेटियां भी उन्हीं आदर्शों के लिए काम कर रही हैं। अपने आदर्शों के लिए काम करते समय तेलंगाना आंदोलन की भावना उनमें अंत तक बनी रही। सीटू तथा अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति की ओर से हम उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके संबंधियों को संवेदनाएं प्रेषित करते हैं। कामरेड सूर्यवती अमर रहे।

बंगलौर में कामकाजी महिलाओं की सफल प्रसभा

एम० राजम्मा

बंगलौर के माइथिक सोसायटी हाल में गत 13 जून को कामकाजी महिलाओं की जिला प्रसभा आयोजित की गई। इसका आयोजन सीटू की जिला समिति की ओर से कर्नाटक सीटू राज्य समिति के निर्देश पर किया था।

विभिन्न उद्योगों से जुड़ीं तथा बंगलौर के करीबी इलाकों से आईं 150 से अधिक महिलाओं ने प्रसभा में भाग लिया। ये महिलाएं इलेक्ट्रानिक्स, कपड़ा, अगरबत्ती, मेडिकल, चर्म उत्पाद निर्माता लेम्प वर्क्स और प्लास्टिक निर्माता इत्यादि उद्योगों के साथ संबंधित थीं। प्रसभा सवेरे 10-30 बजे शुरू हुई। सीटू के जिला सचिव ने प्रतिनिधियों को प्रसभा के उद्देश्यों की जानकारी दी। का. राजम्मा ने प्रसभा का उद्घाटन किया जबकि कामरेड विमला के साबो सहित कई अन्य सीटू नेताओं ने भाषण दिये। प्रसभा के अंत में 13 सदस्यीय जिला समिति का चुनाव किया गया। कामरेड वर लक्ष्मी जिला संयोजक चुनी गईं।

विभिन्न कारखानों में कार्यरत महिलाओं ने अपनी कामकाजी परिस्थितियों के बारे बताया। क्योंकि सभी महिलाएं कारखानों में ही काम करती हैं, इसलिए उनकी समस्याओं की प्रकृति भी एक समान थी। उन्होंने बताया कि कई कारखानों में शिशु पालन गृहों की व्यवस्था नहीं है और जहां कहीं है, वहां के विभिन्न कारणों से अपने बच्चों को छोड़ना नही चाहतीं। विश्राम कक्षों की सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिलतीं। कामकाजी महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव करने की उदाहरण देते हुए एक प्रतिनिधि ने बताया कि एक कारखाने विशेष में जहां महिलाओं को 75 रुपये का महंगाई भत्ता मिलता है, वहीं पुरुषों को उसी भत्ते के रूप में 150 रुपये मिलते हैं। उन्होंने शिकायत की भले ही वहां सीटू की यूनियन है, फिर भी हम वेतनमान की ओर अधिक ध्यान देते हैं, महिलाओं के कार्य की गुणवत्ता का आंकलन नहीं किया जाता। एक कारखाना में महिलाओं को द्वितीय पाली (दोपहर 1.45 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक) में काम करने के लिए कहा गया है। क्योंकि ये कारखाने लघु-औद्योगिक इकाईयां हैं, इसलिए यहां पर आंदोलन चलाना भी जोखिम भरा काम है।

बंगलौर की एक कपड़ा फैक्टरी जहां 200 से अधिक महिलाएं काम करती थीं, वहां इसी मास (जून) की 14 तारीख से तालाबंदी कर दी गई है। वहां सीटू की यूनियन है। उसके सभी पदाधिकारियों में महिलाओं की संख्या 6 है। यह एक नयी यूनियन है। इस यूनियन के बनने पर प्रबंधन ने चार महिला पदाधिकारियों को मुअत्तल कर दिया। इसके विरोध में उन्होंने फैक्टरी के गेट के सामने धरना दिया जो दिन-रात जारी रहा। प्रबंधन के हठ को देखते हुए फैक्टरी में काम करने वाली सभी महिलाएं धरने में शामिल हो गईं। वे अपने बच्चों को भी वहां लातीं। वहीं पर उन्हें आहार देतीं। उनके माता-पिता भी वहां आते। धरने के पांचवें दिन प्रबंधन को यूनियन के नेताओं से समझौता करने पर बाध्य होना पड़ा। समझौते की एक प्रति फैक्टरी के सूचना पट पर भी चिपकाई गई। सभी हंसी-खुशी अपने-अपने घर चले गए। अगले दिन जब वे काम पर आए तो फैक्टरी का ताला लगा हुआ था। अब सभी महिलाएं बाहर हैं। वे अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। इस फैक्टरी की दो महिलाओं ने भी प्रसभा में भाग लिया।

6 जुलाई '93 को भी फैक्टरी के मुख्य द्वार के आगे धरना जारी था। सभी अर्थात् 250 से अधिक महिलाएं प्रतिदिन सवेरे वहां आती हैं और शाम को अपने घर चली जाती हैं। 2 जुलाई को कामकाजी महिला समन्वय समिति की ओर से उनकी मांगों को लेकर श्रम आयुक्त के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। दूसरे कारखानों में काम करने वाली महिलाओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया।

सीटू की बंगलौर जिला समिति ने अपनी 4 जुलाई की बैठक में कामकाजी महिला समन्वय समिति के कार्य और विशेष रूप से अगरबत्ती उद्योग आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को संगठित करने के लिए चार महिला कार्यकर्ताओं की पूर्णकालिक सेवाएं प्राप्त की हैं।

हमारी राज्य परिषद ने भी इसे गंभीरता से लिया है तथा अगले तीन महीनों में आंगनवाड़ी महिलाओं की राज्य प्रसभा आयोजित की जाएगी।

महिला कल्याण योजनाओं पर सरकारी कहर

समाज में स्त्रियों पर अत्याचार की बढ़ती घटनाओं के बावजूद, अत्याचारों की रोकथाम के लिए सरकार ने इस मद में भारी कटौती कर दी है। 1992-93 में 37.20 करोड़ की राशि 1993-94 में घटाकर 12.61 करोड़ रुपये कर दी गयी है। इतनी महत्वपूर्ण मद में 24.59 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गयी है।

इसके अलावा महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का दावा करने वाली सरकार ने महिलाओं के सघन शिक्षा कार्यक्रम मद में मूल्य स्फीति के बावजूद कोई बढ़ोतरी नहीं की।

यही नहीं, कामकाजी महिलाओं की दिनों-दिन बढ़ती संख्या के बावजूद इनके लिए हॉस्टल निर्माण मद में भी कोई वृद्धि नहीं की गयी है। पिछली बार की भांति इस वर्ष भी यह राशि 6 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार सघन शिक्षा कार्यक्रम मद में भी यह पूर्ववत् 8 करोड़ रुपये है।

महिलाओं की स्नायविक बीमारियों के इलाज के लिए दिये जाने वाले धन में भी कटौती की गयी है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य व स्नाय विज्ञान संस्थान बेंगलूर को 1992-93 में इस मद में जहां 10.80 करोड़ रुपये दिये गये थे, वहीं 1993-94 में कटौती करके आठ करोड़ रुपये कम कर दिये गये, जबकि यह सर्वविदित है कि हिस्टीरिया, एनिमिया आदि भयंकर रोगों का स्नायविक कमजोरी से सीधा सम्बन्ध है और यह बीमारियां महिलाओं को ही ज्यादा होती हैं। भविष्य में तनाव, आर्थिक असंतुलन इत्यादि के कारण महिलाओं में स्नायविक की बीमारियां तेजी से बढ़ने की आशंका है।

प्रसव व अन्य कारणों से तीव्र रक्तस्राव की घटनाएँ महिलाओं के जीवन का हिस्सा हैं। अक्सर यह देखा गया है कि महिलाओं की ज्यादातर बीमारियों का कारण खून की कमी का होता है। मगर सरकार ने इस बार 'रक्त-बैंक' मद में भारी कटौती की है। 1992-93 में जहां इस मद में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान था, 1993-94 में इसे घटाकर मात्र एक करोड़ दस लाख रुपये कर दिया गया। महिलाओं की प्रसवोत्तर चिकित्सा कार्यक्रम में भी कटौती की गयी है। मुद्रास्फीति के बावजूद 1992-93 के 50.3 करोड़ रुपये की जगह 1993-94 में 49.55 करोड़ रुपये दिये गये।

केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक की इच्छा पर विश्वव्यापी रोग 'एड्स' निदान की मद भले ही वृद्धि की हो, मगर अन्य यौन रोगों की निदान मद में कटौती कर ली है। 1992-93 में जहां इस मद में एक करोड़ की गौण राशि दी गयी थी, इस बार उसमें भी 50 लाख रुपये की कटौती कर दी गयी है। विश्व स्तर पर एड्स जितना भयानक और गंभीर समस्या है, हमारे देश में गनोरिया सूजाक और सिफलिस जैसे अन्य संक्रामक यौन रोग उसकी तुलना में कहीं कम गंभीर नहीं है। स्पष्ट है कि प्राथमिकताएं तय करने में भी विश्व बैंक की इच्छा को ध्यान में रखा गया है।

भारतीय कृषि को विश्व बाजार के लिए धकेल दिये जाने के बाद एक तरफ जहां सब्सिडी कम की जा रही है, वहीं जो नीतियां अपनायी जा रही हैं, उनसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खाद्य उत्पादों से हमारे बाजार पट जाएंगे। इस प्रक्रिया में हमारे खेतों में नकदी फसल उगाने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ेगी। विदेशी तर्ज पर कृषि के औद्योगिकीकरण से प्रौद्योगिकी आधारित कृषि और छोटे किसानों को मजदूर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फलतः ये नये श्रमिक महिला श्रमिकों की जगह लेने लगेंगे। ब्राजील, मेक्सिको और लीबिया जैसे देशों का अनुभव यही बताता है कि जमीन से बेदखल किसानों ने महिला श्रमिकों की जगह ले ली।

शारीरिक श्रम में कम क्षमतावान होने के कारण महिला श्रमिकों की उपेक्षा शुरू हो जाएगी। इस प्रक्रिया से देश की लगभग तीन करोड़ ग्रामीण महिला श्रमिक प्रभावित होंगी। यही नहीं बेरोजगारी बढ़ने से गांवों में

घरेलू कार्यों से इतर कार्यों में लगी लगभग 50 लाख महिला श्रमिकों को अपने काम से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि अब बेरोजगार किसान इन क्षेत्रों में भी मजदूरी करना चाहेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लगभग आठ करोड़ महिला श्रमिकों का भविष्य खतरे में है।

शहरी क्षेत्रों में भी निम्न व मध्यवर्गीय महिलाएं इन शर्तों से बुरी तरह प्रभावित होंगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण की छूट दिलाने से हमारे लघु और कुटीर उद्योग बुरी तरह तबाह हो जायेंगे। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा 'फास्ट फूड' व 'पैकेट चिप्स' जैसी 'पश्चिमी खाद्य संस्कृति' की भारत में घुसपैठ की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। सुसंगठित अन्तर्राष्ट्रीय सूचना तंत्र ने धीरे-धीरे इस खाद्य संस्कृति को इतना आकर्षक और स्वीकार्य बना दिया है कि हमारी परम्परागत खाद्य संस्कृति दिनोंदिन गर्त में जा रही है। नमकीन मिठाइयों की जगह नूडल संस्कृति भारतीय उपभोक्ताओं के सिर पर सवार है।

उल्लेखनीय है कि कपड़ा सिलने, पापड़, अचार, बड़ियाँ या बीड़ी बनाने से लेकर इलैक्ट्रानिक सामानों की असेम्बलिंग तक का काम ज्यादातर महिलाएं और लड़कियाँ करती हैं। ऐसे उद्योगों के बंद हो जाने से दस लाख से अधिक महिला श्रमिकों के सामने नौकरी का संकट उपस्थित हो जाएगा।

इतनी भारी आबादी की आर्थिक स्वतंत्रता छिनने से परिवार में आय और व्यय का संतुलन बिगड़ेगा और सामाजिक तनाव भी फैलेगा।

आर्थिक संतुलन बनाने के लिए महिलाएं चाहे-अनचाहे कई समझौते भी करेंगी। यह समझौता कहां जाकर रुकेगा कहा नहीं जा सकता। थाईलैंड बोलीविया, ब्राजील और मैक्सिको के उदाहरण सामने हैं। आर्थिक तंगी के बाद इन देशों में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है।

[राष्ट्रीय सहारा से सौजन्य]

तमिलनाडु में अन्तर्राष्ट्रीय बाल-दिवस मनाया गया

तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों से अन्तर्राष्ट्रीय बाल-दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं।

शिवकाशी में जहां माचिस उद्योग में बाल मजदूरों की बहुत भारी संख्या काम करती है, इस अवसर पर भारी जुलूस निकाला गया। इंस्पैक्टर फैक्ट्री कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन भी किया गया। इसका नेतृत्व जनवादी महिला समिति राज्य महासचिव पापा उमानाथ कर रहीं थीं।

कोयंबटूर में 125 बच्चों की ओर से प्रदर्शन किया गया। वे कलेक्टोरेट के कार्यालय तक गये जहाँ उन्होंने एक ज्ञापन भेंट किया। पांडिचेरी में बच्चों को शिक्षा यात्रा पर ले जाया गया।

मद्रास में बाल मजदूरों की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें बीड़ी, स्नफ कम्पनी, स्टील वर्कशाप, हथकरघा, अगरबत्ती, उद्योग तथा होटलों में काम करने वाले लगभग 70 बच्चों ने भाग लिया। उन्हें सीटू के एक राज्य-स्तरीय नेता के अतिरिक्त एक अधिवक्ता, निदेशक सोशल डिफेंस तमिलनाडु, तथा बाल कल्याण सम्बन्धी भारतीय परिषद के प्रतिनिधियों ने सम्बोधित किया। अंग्रेजी दैनिक 'हिन्दू' तथा 'इंडियन एक्सप्रेस' में बैठक की कार्रवाई का पूरा विवरण प्रकाशित किया गया। महिलाओं की समस्याओं तथा मांगों से सम्बन्धित एक पत्र तैयार किया गया। यह मामला राज्य के माकपा विधायक का. शंमुगम विधान सभा में उठाएंगे।

अकेले फिरोजाबाद में 50 हजार से अधिक बाल श्रमिक काम करते हैं

सरकार की ओर से बाल मजदूरी समाप्त करने सम्बन्धी लम्बे-चौड़े दावे किये जा रहे हैं किन्तु उसके दावे वास्तविकता से कोसों दूर हैं। बाल चाकरी रोकने सम्बन्धी दक्षिण एशियाई मोर्चे के अध्ययन श्री कैलाश सत्यार्थी ने पिछले दिनों पत्रकारों से बातचीत करते समय सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दीं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार अकेले फिरोजाबाद की शीशा फैक्टरियों में काम करने वाले बाल श्रमिकों की संख्या 50 हजार से भी ऊपर है।

ये बच्चे इन औद्योगिक इकाईयों में अत्यन्त जोखिम भरा और अस्वस्थ कर काम करने के लिए विवश होते हैं। इस प्रकार उनका बचपन स्वाहा हो जाता है। इन बच्चों को बैंगल ट्यूब मोड़ने का काम करना होता है जिसके लिए 800 से 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान देना जरूरी होता है। ये बच्चे इसी तापमान में 12-12 घंटे काम करते हैं। एक बच्चे लाजपत ने बताया कि उसे सवेरे 4 बजे काम पर पहुंचना होता है। इसे केवल 12 रुपये रोज की मजदूरी मिलती है। उसका काम गैस की लपटों में शीशे की ट्यूब को मोड़ना होता है। कई बार पिघला शीशा उसके ऊपर गिरता है। उनकी टांगों और शरीर के दूसरे भागों पर इससे हुए कई जख्म अभी भी ताजे हैं।

केन्द्रीय श्रम मंत्री श्री पी.ए. संगमा ने 1987 में इन औद्योगिक इकाइयों में छापा मार कर देखा था कि वहां सैकड़ों बाल श्रमिक कार्यरत थे। उन्होंने इस संबंध में जरूरी कदम उठाने का वादा भी किया था, पर अभी तक कुछ नहीं किया गया। उन्होंने तो बाल श्रमिकों की संख्या केवल 3, 134 आंकी थी। इन औद्योगिक इकाइयों की संख्या 362 बताई जाती है। वहां पर काम करने की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यही कारण है कि इन फैक्टरियों में काम करने वाले बच्चे विभिन्न प्रकार नेत्र और चर्म रोगों के अतिरिक्त अस्थमा जैसी बीमारी से भी पीड़ित होते हैं।

विश्व बैंक के दबाव में महिलाओं की उपेक्षा

महिला कल्याण संबंधी कई महत्वपूर्ण योजनाओं में केन्द्र सरकार ने लगभग 40 प्रतिशत कटौती कर दी। यही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में अपनायी गयी नीतियों का महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा।

केन्द्रीय महिला और बाल विकास विभाग की महिला कल्याण योजनाओं में भारी कटौती की गयी है। 1992-93 में इस मद में 112.33 करोड़ रुपये दिये गये थे, जबकि 1993-94 में इस मद में 49.36 करोड़ रुपये की कटौती कर केवल 62.97 करोड़ रुपये ही दिये जाने का प्रावधान है।

विश्व बैंक की शर्तें मानने के दबाव ने महिलाओं के विकास के लगभग सभी रास्ते बंद कर दिये हैं। निर्धन स्त्रियों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को पूर्णकालिक या अंशकालिक रोजगार दिलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को दिये जाने वाले अनुदान में काफी कटौती कर दी गयी है। 1992-93 में जहां इस मद में 5.75 करोड़ रुपये की कटौती कर इसे 4.50 करोड़ कर दिया गया है।

समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं को गैर परं-परागत व्यवसायों का प्रशिक्षण और अनवरत आधार पर रोजगार मुहैया कराने सम्बन्धी प्रशिक्षण व उत्पादन मद में इस बार कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है। 1992-93 की तरह इस वर्ष भी 4 करोड़ रुपये दिये गये हैं, जबकि नार्वे सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार को ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों के लिए नार्वेजियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से 700 लाख क्रोनर (लगभग 31 करोड़ 19 लाख रुपये) की धनराशि मिलेगी।

बाल श्रमिकों के प्रति सरकार की लज्जाजनक उदासीनता

उदयनीनना

बाल श्रमिकों सम्बन्धी अमरीकी विधेयक पर भारत के कपड़ा और कालीन निर्यातकों का सशंकित होना उचित ही है। इससे उनका उद्योग बुरी तरह प्रभावित होगा। हाकिन्स विधेयक के अन्तर्गत अमरीकी फर्में भारत जैसे देशों से सामान का आयात नहीं कर सकेंगी जहां बाल मजदूरी सामान्य-सी बात है। भारत से विदेशों को निर्यात् की जाने वाली वस्तुओं का बड़ा भाव कपड़ा और कालीनों का होता है और इन उद्योगों में बाल श्रमिकों की भारी संख्या काम करती है। अमरीकी बाजार में इन वस्तुओं के पहुंच न पाने से आर्थिक नीति के संचालकों का भी चिंतित होना स्वाभाविक है। यह अलग बात है कि ये संचालक साहिबान बाल मजदूरी के विरुद्ध चलने वाले अभियान को 'भावनात्मक उफान' मात्र कह कर टाल चुके हैं। वास्तव में यदि अमरीका इस प्रश्न पर भी हस्तक्षेप करके हम पर दबाव डालता है जैसा कि वह मानवाधिकारों के प्रश्न पर कर सकता है, तो निःसंदेह यह हमारे देश के लिए लज्जा की बात होगी। ऐसी स्थिति में सारा दोष बाल मजदूरी के प्रश्न पर सरकार की उदासीनता, कम मजदूरी देकर अधिक लाभ कमाने सम्बन्धी निर्यातकों के कु-विश्वास, बाल मजदूरी पर रोक लगाने वाले कानूनों जो भारतीय परिनियम पुस्तिका में दर्ज हैं, पर निर्लज्जतापूर्ण ढंग से अमल न किये जाने की सरकारी आदत पर ही मढ़ा जाएगा। इसी संदर्भ में बाल चाकरी सम्बन्धी दक्षिण एशियाई मोर्चे (एस.ए.सी.सी.एस) ने श्रम मंत्री श्री पी.ए. संगमा की आलोचना की है। मोर्चे ने श्री संगमा को इस लिए भी लम्बे हाथों लिया है कि वह उन कानूनों पर भी अमल करने के लिए बिलकुल गम्भीर नहीं हैं जिनके अन्तर्गत शीशा, चूड़ी, माचिस तथा पटाखों जैसे अस्वस्था कर कार्यों में बाल श्रमिकों की भर्ती पर रोक लगाने की व्यवस्था है। बाल मजदूरी पर रोक सम्बन्धी अधिनियम के 1986 से लागू होने पर भी आज तक एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

इसके साथ ही श्री संगमा पर कपड़ा तथा कालीन बुनाई उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या को बहुत कम करके बताने का आरोप भी लगाया गया है। उदाहरणार्थ बाल चाकरी सम्बन्धी दक्षिण एशियाई मं का अनुमान है कि अकेले वाराणसी शहर के काल. उद्योग में लगभग 300 हजार बाल श्रमिक कार्य करते जबकि श्री संगमा ने उनकी संख्या केवल 12,000 बत है। स्पष्ट है कि श्रमशक्ति में से बाल श्रमिकों निकालना, उसके लिए शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करान यूनिसेफ द्वारा निर्धारित बाल अधिकारों को सुनिश्चि बनाना इन उद्योगपतियों के लिए 'सम्भव' नहीं है तमिलनाडु में इन बाल श्रमिकों के लिए दोपहर का खान उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई थी। वह योजना भी सफल नहीं हुई। इसके लिए स्रोतों की कमी ही नहीं अपितु राज्य द्वारा जनता के प्रति अपनी विशेष भूमिका में कटौती किया जाना भी एक कारण है। माना, हम इस दिशा में कोई विशेष व काम नहीं कर सकते, फिर भी हम ऐसे आवश्यक कदम तो जरूर उठा सकते जिससे स्थिति में कुछ सुधार हो। अन्यथा यह काम ह डंडे के जोर से भी करना पड़ सकता है।

('टाइम्स आफ इंडिया' के सौजन्य से)

Book Post